RAGGING

Ragging is a serious offence that is totally prohibited in our institution. Anyone found guilty of ragging or abetting ragging, whether actively or passively, or being a part of a conspiracy to promote ragging, is liable to be punished in accordance with National Medical Commission (Prevention and Prohibition of Ragging in Medical Colleges and Institutions) Regulations, 2021, as well as under the provisions of any penal law for the time being in force.

For further information or in case you want to register a complaint, please contact –

Sr. No.	Name		Mobile No.
1.	Dr. Parag Sancheti	Dean	8888553333
2.	Dr. Atul Patil	Departmental Chair	9545457660
3.	Dr. Darshankumar Sonawane	Head of Orthopedics Dept.	8149990075
4.	Col. Ajit Palekar (Retd)	Head Academics & Research Admin	8975765723

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22112021-231281
CG-DL-E-22112021-231281

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 582] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 20, 2021/कार्तिक 29, 1943
No. 582] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 20, 2021/KARTIKA 29, 1943

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवंबर, 2021

सं. यूजीएमईबी/एनएमसी/रूल्स एंड रेग्युलेशंस/2021.—राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और दिनांक 16 मई, 2007 की अनुमति याचिका संख्या 2006 की 24295 और दिनांक 08 मई, 2009 की सिविल अपील संख्या 2009 की 887 में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग का खतरा नियंत्रित करने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमावली, 2009 के अनुसरण में, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है: —

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण –**(1) ये विनियम, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम और निषेध) विनियमावली, 2021कहे जाएंगे।

(2) ये भारत के सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रावृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**– इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "शैक्षिक वर्ष" से, उस वर्ष विशेष के अंत में परीक्षाओं, यदि कोई हों, सहित मेडिकल कॉलेज या संस्थान में अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के दाखिले के प्रारंभण से शैक्षिक अपेक्षाओं की पूर्णता तक की अवधि अभिप्रेत है;

(ख) "अधिनियम" से, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) अभिप्रेत है;

(ग) "आयोग" से, अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "नया विद्यार्थी (फ्रेशर)" से कोई ऐसा छात्र अभिप्रेत है, जो संस्थान में दाखिल किया गया है और जो उस संस्थान में अध्ययन के अपने प्रथम वर्ष में अध्ययन कर रहा है;

(ङ) "संस्थान प्रमुख" से, डीन या प्रधानाचार्य या निदेशक या संबंधित कॉलेज या संस्थान के शैक्षिक और छात्रों, रेजिडेंटों तथा फेलोज से संबंधित मामलों सहित प्रशासन के लिए जिम्मेदार कोई अन्य समुचित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "छात्रावास" से, मेडिकल कॉलेज या संस्थान द्वारा प्रशासित और बोर्डिंग जैसी सुविधाओं और अपने सभी संबद्ध क्षेत्रों वाला छात्रों के निवास का कोई स्थान अभिप्रेत है;

(छ) "एमबीबीएस" से, स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997 और अधिनियम की धारा 61 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा विधिवत् मान्यताप्राप्त उत्तरवर्ती संशोधनों के अनुसार भारत के किसी विश्वविद्यालय या अनुमोदित संस्थान की आयुर्विज्ञान स्नातक और शल्यचिकित्सा स्नातक की डिग्री अभिप्रेत है;

(ज) "मेडिकल कॉलेज या संस्थान" से, भारत के अंदर कोई ऐसा संस्थान अभिप्रेत है, जो आयुर्विज्ञान में डिग्रियां, डिप्लोमे या लाइसेंस प्रदान करता है और इसमें संबद्ध कॉलेज और आयोग द्वारा यथा अनुमोदित और अधिनियम की धारा 24, 25 और 35 के अंतर्गत स्नातक-पूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड या स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड के साथ सूचीबद्ध मानित विश्वविद्यालय शामिल है और इसमें सभी क्षेत्र जैसे विभाग, सभी अध्यापन और ज्ञानार्जन सुविधाएं, अस्पताल और इसके सभी परिसर, चाहे वे शैक्षिक, आवासीय, खेल के मैदान या कैंटीन हों, चाहे वे परिसरके अंदर स्थित हों या अंदर और अपना अध्ययन करने में छात्रों द्वारा इस्तेमाल किए गए सरकारी या निजी परिवहन के सभी साधन शामिल हैं, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है;

(झ) "चिकित्सा–शास्त्र" से अपनी सभी शाखाओं में आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा-शास्त्र अभिप्रेत है और इसमें शल्य-चिकित्सा तथा प्रसूति-विज्ञान शामिल है, परंतु इसमें पशुचिकित्सा-शास्त्र और शल्यचिकित्सा शामिल नहीं है।

(ञ) "अधिसूचना" से, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करें" अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(ट) "स्थायी पंजीकरण" अधिनियम के अध्याय VI के उपबंधों के अंतर्गत यथा विनियमित, किसी विधिवत् मान्यताप्राप्त प्राथमिक आयुर्विज्ञान शैक्षिक योग्यता वाले पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण है, जो स्थायी चिकित्सा विनियमावली, 2021 के अंतर्गत यथा विनियमित, भारत में आधुनिक वैज्ञानिक औषध प्रणाली या ऐलोपैथिक में स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने की अनुमति प्रदान करता है या लाइसेंस उपलब्ध कराता है;

(ठ) "रैगिंग" से, विनियम 4 में यथापरिभाषित एक दूसरे के प्रति छात्रों के कदाचार का कृत्य अभिप्रेत है;

(ड) "वरिष्ठ" से, कोई ऐसा छात्र अभिप्रेत है, जो उस संस्थान में अपना अध्ययन कर रहा है और पिछले शैक्षिक वर्ष में या किसी पिछले वर्ष में संस्थान में दाखिल किया गया है और इसलिए निहितार्थ है कि वह किसी फ्रेशर के बैच से पहले संस्थान में शामिल हुआ है;

(ढ) "छात्र" से, नामांकित और आयोग द्वारा यथा अनुमोदित किसी मेडिकल कॉलेज में किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ण) इन विनियमों के उद्देश्य के लिए "विश्वविद्यालय" का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 2 के खंड (च) में इसे दिया गया अर्थ होगा और इसमें भारत में कोई ऐसा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, जो किसी केंद्रीय अधिनियम, किसी प्रांतीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या के अंतर्गत स्थापित या अधिनिगमित किया गया हो, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय होने वाला कोई संस्थान या डिग्रियां प्रदान या स्वीकृत करने के लिए संसद के किसी अधिनियम द्वारा विशेष रूप से शक्तिप्राप्त कोई संस्थान शामिल है;

(त) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 4 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है;

(थ) "वार्डन" से, संस्थान प्रमुख द्वारा छात्रावासों के नैत्यक प्रशासन और कार्यचालन सौंपे गए कोई पदाधिकारी अभिप्रेत हैं।

(2) इन विनियमों में इस्तेमाल किए गए और इसमें परिभाषित न किए गए परंतु अधिनियम में परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अपना-अपना वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

3. उद्देश्य - इन विनियमों का उद्देश्य, इन विनियमों के अंतर्गत रैगिंग के निषेध द्वारा, इसके होने की रोकथाम करके और इन विनियमों में यथा उपबंधित प्रवृत्त प्रचलित और लागू होने वाले कानूनों के अनुसार रैगिंग में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक उपाय करके, देश में मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों से इसके सभी रूपों में रैगिंग का उन्मूलन करना है।

अध्याय ।।

रैगिंग

3. रैगिंग की परिभाषा –रैगिंग का अर्थ होगा कोई उत्पाती आचरण, चाहे वह बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा हो या किसी ऐसे कृत्य द्वारा जिसका प्रभाव किसी अन्य छात्र को चिढ़ाने, रुखेपन के साथ व्यवहार करने या हैंडल करने वाला हो, उपद्रवी या अनुशासनहीनगतिविधियों में लिप्त होना, जिसके कारण कष्ट पहुंचता हो या कष्ट पहुंचने की संभावना हो, कठिनाई या मनोवैज्ञानिक हानि हो या किसी फ्रेशर या कनिष्ठ के मन में डर या उसकी आशंका उत्पन्न करना या छात्रों से कोई ऐसा कार्य करने या कुछ ऐसा करने को कहना, जो सामान्यत: वह छात्र नहीं करेगा और जिसका प्रभाव, शर्म या लज्जा की भावना उत्पन्न करने वाला हो जो किसी फ्रेशर या किसी कनिष्ठ छात्र के शरीर या मन को प्रतिकूलत: प्रभावित करती हो।

4. कार्य जो रैगिंग हो सकते हैं –निम्नलिखित कार्य उन कार्यों में शामिल होंगे जो रैगिंग हो सकते हैं, नामत:

(क) किसी छात्र या छात्रों द्वारा कोई आचरण, चाहे वह बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा हो या किसी ऐसे कृत्य द्वारा जिसका प्रभाव किसी फ्रेशर या किसी अन्य छात्र पर चिढ़ाने, रुखेपन के साथ व्यवहार या हेंडलिंग हो;

(ख) किसी छात्र या छात्रों द्वारा उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों में लिप्त होना, जिससे कष्ट पहुंचता हो या पहुंचने की संभावना हो, कठिनाई हो, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक हानि हो या किसी फ्रेशर या किसी अन्य छात्र के मन में डर या उसकी आशंका उत्पन्न करना;

(ग) किसी छात्र को ऐसा कार्य करने को कहना जो वह छात्र सामान्यत: नहीं करेगा और जिसका प्रभाव, शर्म या यातना या लज्जा की भावना उत्पन्न करने वाला हो, जो उस फ्रेशर या किसी अन्य छात्र के शरीर या मन को प्रतिकूलत: प्रभावित करती हो;

(घ) किसी वरिष्ठ छात्र द्वारा कोई ऐसा कार्य, जो किसी अन्य छात्र या किसी फ्रेशर के नियमित शैक्षिक क्रियाकलाप को रोकता हो, भंग करता हो या उसमें बाधा उत्पन्न करता हो;

(ङ) किसी व्यक्ति या छात्रों के किसी समूह को दिए गए शैक्षिक कार्य पूरे करने के लिए किसी फ्रेशर या किसी अन्य छात्र की सेवाओं का दुरुपयोग करना;

(च) छात्रों द्वारा किसी फ्रेशर या किसी अन्य छात्र पर जबरदस्ती वित्तीय भार डालने या वित्तीय खसोट का कोई कार्य;

(छ) इसके सभी रूपों सहित शारीरिक दुर्व्यवहार का कोई कार्य जैसे यौन दुर्व्यवहार, समलिंगकामी प्रहार, कपड़े उतरवाना, अश्लील और कामुक कृत्यों के लिए दबाव डालना, इशारे, स्वास्थ्य या व्यक्ति को शारीरिक हानि, कोई अन्य खतरा पहुंचाना;

(ज) बोले गए शब्दों, ई-मेलों, डाक, स्नेल-मेलों, ब्लॉगों, सार्वजनिक अपमानों द्वारा कोई कृत्य या दुरुपयोग जिनमें फ्रेशर या किसी अन्य छात्र को पराजय में सक्रिय रूप से या निष्क्रिय रूप से भाग लेने से विकृत आनंद, प्रतिनिधिक या परपीड़न कामुक रोमांच प्राप्त करना भी शामिल होगा;

(झ) रंग, नस्ल, जाति, मानवजातीय, जेंडर (ट्रांसजेंडर सहित) यौन अभिमुखीकरण, दिखावट, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीय उत्पत्तियों, भाषायी पहचान, जन्म स्थान, निवास स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर अन्य छात्र (फ्रेशर या अन्यथा) पर लक्षित शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार (डराने-धमकाने और बहिष्कार सहित) का कोई कृत्य;

(ञ) कोई ऐसा कृत्य जो अपमान के जरिए या अन्यथा मानव प्रतिष्ठा और सम्मान को कम करता हो;

(ट) कोई ऐसा कृत्यु जो कामुक आनंद लेने की मंशा से या के बिना किसी फ्रेशर या किसी अन्य छात्र के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता हो या किसी फ्रेशर या किसी अन्य छात्र पर किसी छात्र द्वारा शक्ति, प्राधिकार या श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना;

(ठ) ऊपर स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया गया कोई अन्य कृत्य परंतु जिससे विनियम 3 और 4 के अंतर्गत यथा उपबंधित रैगिंग के लिए परिभाषा के सही अर्थ में रैगिंग का कृत्य बनता हो।

अध्याय ।।।

संस्थानों द्वारा रैगिंग का निषेध और रोकथाम करने के उपाय

5. संस्थानों के कर्त्तव्य और जिम्मेदारियां –रैगिंग को नियंत्रित करने और उसके उन्मूलन के लिए सभी स्टेकहोल्डरों नामत: वरिष्ठों, फ्रेशरों, अध्यापकों, माता-पिता और व्यापक रूप से सभ्य समाज के प्रयासों की आवश्यकता होती है और इस अध्याय के उपबंधों में उपबंधित उपाय, संस्थान द्वारा रैगिंग का निषेध और रोकथाम करने के लिए मोटे तौर पर दिशानिर्देश हैं।

6. रैगिंग का निषेध करने के लिए मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों द्वारा किए जाने वाले उपाय- रैगिंग का निषेध करने के लिए मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे, नामत:-

(क) कोई भी संस्थान, किसी भी तरीके से रैगिंग की घटना की अनुमति नहीं देगा या किसी भी रूप में रैगिंग की सूचित की गई किसी घटना को माफ नहीं करेगा; और सभी संस्थान, संस्थान के अंदर या बाहर रैगिंग का उन्मूलन करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इन विनियमों के उपबंधों सहित सभी आवश्यक और अपेक्षित उपाय करेंगे परंतु ये उपाय इन्हीं उपबंधों तक सीमित नहीं होंगे;

(ख) प्रत्येक मेडिकल कॉलेज या संस्थान, रैगिंग करने या सक्रिय अथवा निष्क्रिय रूप से रैगिंग के लिए उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने की साजिश का भाग होने का दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध इन विनियमों के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

7. रैगिंग की रोकथाम करने के लिए मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों द्वारा किए जाने वाले उपाय- (1) रैगिंग की रोकथाम करने के लिए दाखिल प्रक्रिया से पहले मेडिकल कॉलेज या संस्थान द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे, नामत:

(i) किसी इलेक्ट्रॉनिक, द्रश्य-श्रव्य या प्रिंट या किसी अन्य मीडिया में घोषित किसी पाठ्यक्रम में दाखिले से संबंधित, मेडिकल कॉलेज या संस्थान की सभी सार्वजनिक अधिसूचनाओं में अभिव्यक्त रूप से यह दिया जाएगा कि-

(क) रैगिंग एक गंभीर अपराध है जो मेडिकल कॉलेज या संस्थान में पूर्णत: निषिद्ध है।

(ख) रैगिंग करने या रैगिंग के लिए उकसाने, चाहे यह सक्रिय रूप से हो या निष्क्रिय रूप से, या रैगिंग को बढ़ावा देने की साजिश का भाग होने का दोषी पाए गए किसी व्यक्ति को, इन विनियमों के अनुसार और समय-समय पर लागू किसी दांडिक कानून के उपबंधों के अंतर्गत दंड दिया जा सकेगा;

(ii) प्रिंट, डिजिटल या किसी अन्य रूप में दाखिला ब्रोशर या प्रॉस्पैक्ट्स या सूचना बुलेटिन में ये विनियम शामिल किए जाएंगे;

(iii) प्रवेश या एग्जिट या मूल्यांकन के किसी अन्य रूप के लिए परीक्षा आयोजित करने और उन कॉलेजों या संस्थानों, जिन पर ये विनियम लागू होते हैं, से संबंधित काउंसलिंग या सीट आबंटन करने वाले सभी संगठनों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने सूचना बुलेटिन में ये विनियम उसी रूप में शामिल करें जिस रूप में उपलब्ध हैं, जैसेकि नीचे दिए गए हैं:

(क) राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसियां (एनटीए), एमबीबीएस के लिए राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा [नीट (यूजी)] में ये विनियम शामिल करेंगी;

(ख) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) स्नातकोत्तर [नीट (पीजी)] और राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा के सूचना बुलेटिन में ये विनियम शामिल करेगा;

(ग) स्नातक-पूर्व मेडिकल या स्नातकोत्तर या अति विशेषज्ञता पाठ्यक्रम ऑनलाइन सीट आबंटन प्रक्रिया (ऑनलाइन काउंसलिंग) आयोजित करने वाले महानिदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कीमेडिकल काउंसलिंग समिति (एमसीसी), संबंधित काउंसलिंग प्रक्रियाओं के लिए अपनी वेबसाइट पर ये विनियम प्रदर्शित करेंगी;

(घ) अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय एग्जिट परीक्षा (नेक्स्ट) के लिए सूचना बुलेटिन में ये विनियम उपलब्ध होंगे;

(ङ) मेडिकल कॉलेज या संस्थान यह सुनिश्चित करेंगें कि यदि दाखिला प्रक्रिया से संबंधित अपने मूल्यांकनों या परीक्षाओं या काउंसलिंग में से कोई उनके अधीन किसी संगठन द्वारा आयोजित की जाती है या उनका बाह्य स्रोतीकरण किया जाता है तो सूचना बुलेटिन में ये विनियम शामिल होंगे।

(iv) मेडिकल कॉलेज या संस्थान, परीक्षा की तारीखें इस प्रकार भिन्न-भिन्न समय पर रखेंगे ताकि वरिष्ठ बैचों के नए सत्रों के प्रारंभण से पहले नया बैच दाखिल किया जा सके;

(v) किसी मेडिकल कॉलेज या संस्थान में शैक्षिक सत्र के प्रारंभण से पहले संस्थान प्रमुख रैगिंग को नियंत्रित करने हेतु उपायों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों या एजेंसियों जैसे छात्रावास वार्डन, छात्रों के प्रतिनिधियों, माता-पिता या अभिभावकों, संकाय सदस्यों, जिला प्रशासन जिसमें पुलिस शामिल है, की एक बैठक आयोजित करेगा और उसे संबोधित करेगा;

(vi) संस्थान प्रमुख, रैगिंग-प्रतिरोधी समितियां, रैगिंग-प्रतिरोधी दस्ते और अन्य ऐसी समितियां गठित करेगा और इन विनियमों के उपबंधों का उद्देश्य पूरा करने के लिए ड्यूटियां सौंपेगा;

(vii) मेडिकल कॉलेज या संस्थान, रैगिंग में लिप्त व्यक्तियों के प्रति संस्थान के दृष्टिकोण और रैगिंग के अपमानजनक प्रभाव से पूरे समुदाय को, विशेष रूप से जागरूक करेगा, यहां तक कि व्यापक प्रसार करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करके भी और रैगिंग की घटनाओं पर दांडिक कानून के उपबंध और इन विनियमों के उपबंध दर्शाने वाले पोस्टर सुस्पष्ट रूप से संस्थानों के परिसर, विशेष रूप से छात्रावासों में प्रदर्शित करेंगे;

(viii) रैगिंग-प्रतिरोधी गतिविधियों से संबंधित कार्यों और संपर्क नंबर, नियंत्रण कक्ष के ब्योरे, हेल्पलाइन सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे, उपलब्ध कराए जाएंगे और फ्रेशरों तथा सभी संबंधितों को आसानी से उपलब्ध होंगे ताकि जब कभी आवश्यकता हो, तत्काल संपर्क स्थापित किया जा सके;

(ix) दाखिला प्रक्रिया आरंभ होने से पहले के अवकाश की अवधि का उपयोग, इन विनियमों के उद्देश्यों और उपबंधों का प्रचार करने के लिए किया जा सकता है;

(x) संस्थान, रैगिंग की घटना घटित होने के लिए असुरक्षित के रूप में ज्ञात सभी स्थानों की पहचान करेगा, उन्हें उचित ढंग से प्रकाशवान बनाएगा और उन पर निकटता से निगरानी रखेगा;

(xi) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे स्थानों को छोड़कर, जहां अपरिहार्य हो, छात्रावास और अन्य क्षेत्रों सहित मेडिकल कॉलेज या संस्थान के अंदर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए जैमिंग आदि द्वारा कोई बाधा नहीं होगी;

(xii) यह सिफारिश की जाती है कि परिसर, कम से कम रैगिंग की घटनाओं के लिए असुरक्षित क्षेत्रों की मॉनीटरिंग वीडियो-निगरानी के जरिए की जाए;

(xiii) मेडिकल कॉलेज या संस्थान के संकाय सदस्य और स्टाफ, इन विनियमों के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लक्ष्य से, शैक्षिक वर्ष के आरंभ से पहले से ही, छात्रों के किसी विशिष्ट भाग की कोई विशेष आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रवेश व्यवस्थाएं, जिनमें वे शामिल हैं, जो पूर्वानुमान लगाती हैं, पहचान करती है और योजना बनाती है, मौजूद रखेंगे;

(xiv) प्रत्येक मेडिकल कॉलेज या संस्थान, काउंसलिंग छात्रों के लिए उपलब्ध रहने हेतु, शैक्षिक सत्र के प्रारंभण से पहले व्यावसायिक काउंसलरों या आंतरिक काउंसलरों, जो मनश्चिकित्सा विभाग में उपलब्ध हों, को अभिनियोजित करेगा या उनकी सहायता प्राप्त करेगा;

(xv) मेडिकल कॉलेज या संस्थान, पहले से ही ऐसे संकाय सदस्य मेंटर समनुदेशित करने की प्रणाली तैयार करेगा जो छात्रों और उनके माता-पिता या अभिभावकों के साथ नियमित रूप से संवाद करेंगे;

(xvi) स्थानीय पुलिस और प्राधिकारियों को, दाखिले की तारीखों के ब्योरे और मेडिकल कॉलेज या संस्थान में नामांकित छात्रों द्वारा आवासीय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रत्येक निजी रूप से वाणिज्यिक रूप में प्रबंधित छात्रावास या लॉजों के पते उपलब्ध कराए जाएंगे;

(xvii) रैगिंग-प्रतिरोधी दस्ता, छात्रों को दाखिल किए जाने के पश्चात निगरानी रखने में पर्याप्तत: सक्षम बनने के लिए पर्याप्त अभ्यास करेगा;

(xviii) संपर्क ब्योरों के साथ एक रैगिंग-प्रतिरोधी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाए ताकि छात्र, रैगिंग की घटनाएं सूचित करने और आवश्यकतानुसार सहायता प्राप्त करने के लिए दिन या रात में किसी भी समय नियंत्रण कक्ष से संपर्क करने में समर्थ हो सकें;

(xix) पर्याप्त और सुदृढ़ संचार तंत्र लागू किया जाएगा ताकि यदि आवश्यकता पड़ती है तो मेडिकल कॉलेज या संस्थान तत्काल और साथ ही साथ संपर्क कर सके और समुचित पदाधिकारियों, जिला पदाधिकारियों और पुलिस को संस्थान के अंदर सूचना पुन: प्रसारित कर सके;

(xx) सांस्थानिक वेबसाइट में, रैगिंग-प्रतिरोधी अधिसूचनाएं, गतिविधियां और रैगिंग की घटनाओं की रिपोर्टें भी तथा उन पर की गई कार्रवाई जनता के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पोस्ट करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

(2) दाखिला प्रक्रिया के समय मेडिकल कॉलेज या संस्थान द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे, नामत:

(i) दाखिले के समय, निम्नलिखित अनुबंधों में दिए गए प्रपत्र पर यह वचनपत्र लिया जाएगा कि छात्र किसी भी तरीके से रैगिंग में शामिल नहीं होगा:

(क) फार्म । पर छात्र द्वारा वचनपत्र;

(ख) फार्म ।। पर माता-पिता या अभिभावक द्वारा वचनपत्र।

(ii) जो छात्र, मेडिकल कॉलेज या संस्थान के परिसर के अंदर या परिसर के बाहर छात्रावासों में दाखिला चाहते हैं, वे निम्नलिखित अनुबंधों में दिए गए प्रपत्र पर यह वचनपत्र देंगे कि छात्र किसी भी तरीके से रैगिंग में शामिल नहीं होगा-

(क) फार्म । पर छात्र द्वारा वचनपत्र;

(ख) फार्म ।। पर माता-पिता/अभिभावक द्वारा वचनपत्र।

(iii) दाखिले की शर्तों में स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र या स्थानांतरण प्रमाणपत्र या माइग्रेशन प्रमाणपत्र या चरित्र प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, के रूप में कोई दस्तावेज़ शामिल होगा, जिसमें आवेदक के व्यवहार संबंधी पैटर्न पर एक रिपोर्ट शामिल होगी ताकि इसके पश्चात मेडिकल कॉलेज या संस्थान किसी ऐसे छात्र पर गहन निगरानी रख सके जिसकी इस संबंध में नकारात्मक प्रविष्टि है;

(iv) अपने पंजीकरण के समय प्रत्येक छात्र, अध्ययन के पाठ्यक्रम में अध्ययन करते समय, आवास के अपने स्थान के बारे में मेडिकल कॉलेज या संस्थान को सूचित करेगा और यदि छात्र ने आवास का अपना स्थान तय नहीं किया है या इसे बदलने की इच्छा रखता है तो इसे तय करने परतत्काल आवास के अपने स्थान के ब्योरे उपलब्ध कराए जाएंगे और विशेष रूप से निजी वाणिज्यिक रूप से प्रबंधित लॉज या छात्रावास के संबंध में, जहां उसने आवास लिया है;

(v) संस्थान में दाखिल किए गए प्रत्येक नए छात्र को निम्नलिखित उपलब्ध कराए जाएंगे:

(क) किसी भी समय सहायता और मार्गदर्शन, यदि और जब कभी आवश्यक हो, के लिए उन व्यक्तियों के ब्योरे, जिनसे संपर्क किया जा सकता है जैसे इन विनियमों में उल्लिखित रैगिंग-प्रतिरोधी हेल्पलाइन या नियंत्रण कक्ष, वार्डन, संस्थान प्रमुख, रैगिंग-प्रतिरोधी दस्तों और समितियों के सदस्य, संबंधित जिला और पुलिस प्राधिकारी;

(ख) उनके प्रवेश और अभिमुखीकरण के लिए की गई व्यवस्थाओं के ब्योरे जो पिछले वर्षों में संस्थान के पहले से दाखिल किए गए छात्रों के साथ छात्रों के रूप में उन्हें पूरी तरह एकीकृत करने के दक्ष और प्रभावी माध्यमों को बढ़ावा देती हैं;

(ग) मेडिकल कॉलेज या संस्थान के असली छात्रों के रूप में उनके अधिकार;

(घ) इस संबंध में स्पष्ट निर्देश कि उन्हें अपनी इच्छा से या के विरुद्ध कुछ करने से बाज आना चाहिए, यदि वरिष्ठ छात्रों द्वारा आदेश भी दिया जाए और कि रैगिंग करने का कोई प्रयास, तुरंत रैगिंग-प्रतिरोधी दस्ते या वार्डन या संस्थान प्रमुख, जैसा भी मामला हो, को सूचित किया जाएगा;

(ङ) इस संबंध में निर्देश कि कम से कम एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उनके साथ कोई जाएगा और उन्हें समुचित ढंग से मॉनीटर किया जाएगा, यदि वे किसी बोर्डिंग सुविधा या भोजनालय या कैंटीन या किसी मनोरंजन सुविधा जैसे व्यायामशाला में जाने के लिए अपने छात्रावास परिसर छोड़ते हैं, विशेष रूप से शाम को या रात में;

(च) सभी फ्रेशर पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे और संपर्क ब्योरे तथा छोड़ने का समय और छात्रावासों में प्रत्याशित वापसी और इस प्रकार जाने के कारण उपलब्ध कराएंगे, यदि वे किसी कारण से जैसे स्थानीय अभिभावक के पास जाना आदि छात्रावास और संस्थान परिसर छोड़ते हैं।

3. दाखिला प्रक्रिया के पश्चात मेडिकल कॉलेज या संस्थान द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे, नामत:

(i) फ्रेशर्स को, जहां तक संभव हो, एक अलग छात्रावास ब्लॉक या विंग में ठहराया जाएगा और मेडिकल कॉलेज या संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि फ्रेशर्स को आबंटित आवास में वरिष्ठ छात्रों के प्रवेश को, वार्डन, सुरक्षा स्टाफ और संस्थान के अन्य स्टाफ द्वारा सख्ती से मॉनीटर किया जाए;

(ii) मेडिकल कॉलेज या संस्थान, उस मेडिकल कॉलेज या संस्थान के शैक्षिक वातावरण से नए छात्रों को अवगत और परिचित कराने हेतु उनके लिए अलग अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करेगा;

(iii) नए छात्रों को आगमी जीवन के लिए तैयार करने हेतु उनकी काउंसलिंग की जाएगी, विशेष रूप से छात्रावासों में जीवन के संबंध में और यथासंभव, माता-पिता और अध्यापकों को भी इस काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा;

(iv) मेडिकल कॉलेज या संस्थान, निम्नलिखित के जरिए वरिष्ठ छात्रों के साथ अभिमुखीकरण कार्यक्रम बनाएगा-

(क) संयुक्त संग्राहीकरण कार्यक्रम और किसी व्यावसायिक काउंसलर द्वारा नए और वरिष्ठ छात्रों दोनों की काउंसलिंग;

(ख) सांस्कृतिक और खेलकूद क्रियाकलापों के रूप में वरिष्ठ छात्रों के साथ संयुक्त विचार-विमर्श;

(ग) सक्रिय मॉनीटरिंग, संकाय सदस्यों, छात्र सलाहकारों, वार्डनों और इसके सदस्यों के रूप में कुछ वरिष्ठ छात्रों सहित समुचित समितियों द्वारा फ्रेशर्स, कनिष्ठ छात्रों और वरिष्ठ छात्रों के बीच स्वस्थ विचार-विमर्श को बढ़ावा देना और विनियमित करना।

(v) फ्रेशर्स को संकाय सदस्य आबंटित किए जाएंगे, जो मेंटर्स के रूप में कार्य करेंगे, जैसाकि विनियम 14 के अंतर्गत दर्शाया गया है;

(vi) मेडिकल कॉलेज या संस्थान, अपनी स्वयं की निम्नलिखित अतिरिक्त पद्धतियां तैयार कर सकते हैं और रैगिंग का निषेध और रोकथाम करने के लिए इस अध्याय के विभिन्न उपबंधों में उपबंधित और सभी आवश्यक उपाय लागू करेगा, जिससे, तत्समय प्रवृत्त, जो लागू हों, संबंधित कानूनों सहित उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को नियंत्रित करने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमावली, 2009 और इन विनियमों के उपबंधों का उद्देश्य पूरा हो सके:

(क) सभी आवश्यक समितियां, कर्मी, उपाय और योजनाएं लागू की जाएंगी और शर्तें कार्यान्वित करने के लिए पूरी तरह कार्यात्मक होंगी तथा एक-दूसरे के साथ समन्वय करेंगी;

(ख) छात्रों, फ्रेशर्स और वरिष्ठ छात्रों, माता-पिता, संकाय सदस्यों और अन्य सभी स्टाफ को, रैगिंग-प्रतिरोधी विनियमों के उपबंधों की पर्याप्तत: सूचना दी जाएगी;

(ग) छात्रावासों और कैंटीन क्षेत्रों पर विशेष बल देने के साथ, सभी संबंधितों द्वारा हर समय सख्त निगरानी रखी जाएगी;

(घ) 24 घंटे औचक जांचें, गुप्त सर्वेक्षण और अनुशासनिक उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा;

(ङ) प्रत्यक्ष रूप से या नियंत्रण कक्ष अथवा हेल्पलाइनों के जरिए संस्थान प्रमुख, संकाय सदस्य, रैगिंग-प्रतिरोधी दस्ते, रैगिंग-प्रतिरोधी समिति के सदस्यों, छात्रावास वार्डन और अन्य स्टाफ के संपर्क नंबरों की उपलब्धता के जरिए रैगिंग की घटनाएं और अप्रिय घटनाएं, संकट, फ्रेशर्स की कठिनाइयां सूचित करने की आसान सुगम्यता होगी;

(च) जिला प्रशासन और पुलिस के शीघ्र और तत्काल हस्तक्षेप, यदि आवश्यकता पड़ती है, के लिए उनके साथ एक स्थापित संसूचन प्रचालनरत प्रोटोकोल होगा;

(छ) यह संदेश और मंशा सुस्पष्ट होगी कि संस्थान के सभी छात्रों और स्टाफ के लिए, रैगिंग की प्रत्येक घटना की सूचना देना अनिवार्य है और कि रैगिंग के प्रत्येक मामले पर, इन विनियमों के उपबंधों और तत्समय प्रवृत्त लागू होने वाले कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी;

(vii) मेडिकल कॉलेज और संस्थान, पहले से निश्चित किए गए अंतरालों पर, जो छात्रों के दाखिले के पश्चात पहले तीन महीने के लिए साप्ताहिक हो सकते हैं, विश्वविद्यालय को सभी रैगिंग-प्रतिरोधी उपायों, रैगिंग

की घटनाओं, न्यायालयों के निर्देशों के संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे, जैसाकि विनियम 17 में उपबंधित है;

(viii) मेडिकल कॉलेज या संस्थान, आयोग को, फार्म ।।। में दिए गए प्रपत्र पर अनुपालन रिपोर्टें, रैगिंग-प्रतिरोधी उपायों, रैगिंग की घटनाओं, उन पर की गई कार्रवाई न्यायालयों के निर्देश के संबंध में रिपोर्टें उपलब्ध कराएगा, जैसाकि विनियम 18 में उपबंधित है;

(ix) ऊपर उल्लिखित उपाय न तो व्यापक हैं और न ही पूर्ण और मेडिकल कॉलेज या संस्थान, इन विनियमों के भिन्न-भिन्न उपबंधों में यथा उपबंधित उपायों का उपयोग कर सकता है और उनके अलावा, केवल नव परिवर्तन लाने और ऐसे उपाय तैयार करने के लिए ही प्रोत्साहित नहीं करता जो रैंगिंग की घटनाओं का निषेध करने, रोकथाम करने और पहचान करने में सहायता करने के प्रयासों में वृद्धि करेंगे, बल्कि अन्य मेडिकल कॉलेजोंया संस्थानों में कार्यान्वयन हेतु अपने संबद्ध विश्वविद्यालय को उचित सुझाव भी देंगे।

(4) शैक्षिक वर्ष के अंत में मेडिकल कॉलेज या संस्थान द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे, नामत:-

(i) प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में, संस्थान प्रमुख या डीन ऐसे छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों को एक पत्र भेजेगा जो अपना प्रथम वर्ष पूरा कर रहे हैं, जिसमें उन्हें, अगले शैक्षिक सत्र के आरंभ में मेडिकल कॉलेज या संस्थान में लौटने पर रैगिंग में लिप्त होने से उनके आश्रित छात्रों को बाज आने पर जोर देने के लिए, इन विनियमों और तत्समय लागू किसी अन्यकानून का स्मरण दिलाया गया है;

(ii) प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में मेडिकल कॉलेज या संस्थान एक मेंटरिंग समिति या मेंटरिंग कक्ष गठित करेगा, जिसमें आगमी शैक्षिक वर्ष के लिए मेंटर्स होंगे, जैसाकि विनियम 14 में उपबंधित है।

8. माइग्रेशन प्रमाणपत्र, स्थानांतरण प्रमाणपत्र और आचरण प्रमाणपत्र जारी करना –मेडिकल कॉलेज या संस्थान द्वारा छात्र को जारी किए गए माइग्रेशन प्रमाणपत्र, स्थानांतरण प्रमाणपत्र या आचरण प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, में सामान्य आचरण और व्यवहार से संबंधित प्रविष्टि के अलावा इस संबंध में प्रविष्टि होगी कि क्या उस छात्र को रैगिंग करने या उसके लिए उकसाने के लिए दंडित किया गया है या नहीं और इस संबंध में भी प्रविष्टि होगी कि क्या छात्र ने निरंतर हिंसक या आक्रामक व्यवहार या अन्यों को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति दर्शायी है।

9. फ्रेशर्स और वरिष्ठों के बीच स्वस्थ विचार-विमर्श प्रोत्साहित करने के लिए उपाय –फ्रेशर्स और वरिष्ठों के बीच स्वस्थ विचार-विमर्श प्रोत्साहित करने के लिए मेडिकल कॉलेज या संस्थान द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे, नामत:-

(i) संस्थान, फ्रेशर्स और वरिष्ठ छात्रों के बीच स्वस्थ विचार-विमर्श को सक्रिय रूप से मॉनीटर करने, बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए नैदानिक-पूर्व वर्षों से संकाय सदस्यों, छात्रों के प्रतिनिधियों, वार्डन और कुछ वरिष्ठ छात्रों को शामिल करते हुए समुचित समितियां गठित करेगा;

(ii) फ्रेशर्स स्वागत पार्टियां, एक-दूसरे के साथ उचित परिचय के लिए वरीयत: शैक्षिक सत्र आरंभ होने के पहले दो सप्ताह के अंदर वरिष्ठ छात्रों और संकाय सदस्यों द्वारा एक साथ सांस्थानिक या विभागीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी और जहां फ्रेशर्स की प्रतिमाएं, संकाय सदस्यों की मौजूदगी में उचित ढंग से सामने लाई जाएंगी, इस प्रकार हीन भावना, यदि कोई है, छोड़ देने और अंतर्बाधा दूर करने में उनकी सहायता करेंगी;

(iii) संस्थान, मेडिकल कॉलेज और संस्थान के समुचित मामलों में फेशर्स और वरिष्ठ छात्रों दोनों को शामिल करके छात्र-संकाय सदस्य विचार-विमर्श में वृद्धि करेगा जैसे पाठ्यचर्या तैयार करना, पाठ्येतर क्रियाकलाप और सांस्थानिक समारोह, ताकि छात्र यह महसूस कर सकें कि वे संस्थान के मामलों का प्रबंधन करने में जिम्मेदार साझेदार हैं।

10. रैगिंग के प्रति संस्थान के कर्मचारियों और स्टाफ का संवेदीकरण –रैगिंग के प्रति संस्थान के कर्मचारियों और स्टाफ के संवेदीकरण के लिए मेडिकल कॉलेज या संस्थान द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे, नामत:-

(i) मेडिकल कॉलेज या संस्थान के संकाय सदस्यों और कर्मचारियों, चाहे वे नियमित हों या अस्थायी, और संस्थान के अंदर सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता के कर्मचारियों सहित सभी स्तरों और प्राधिकरणों के वर्गों तथा कार्यकर्ताओं की यह सामान्य सामूहिक जिम्मेदारी होगी कि वे रैगिंग घटित होने या रैगिंग की किसी घटना, जो उनकी जानकारी में आती है, की रोकथाम करें या उसके विरुद्ध कार्रवाई करें;

(ii) मेडिकल कॉलेज या संस्थान, परिसर में नियोजित सभी अध्यापन और गैर-अध्यापन स्टाफ सदस्यों, संविदा श्रमिकों, चाहे वे कैंटीन चलाने के लिए हों या निगरानी या सुरक्षा स्टाफ हों या भवनों या लॉनों की सफाई या अनुरक्षण के लिए हों और मेडिकल कॉलेज या संस्थान के अंदर सेवाएं प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं

के कर्मचारियों को रैगिंग के प्रभावों और रैगिंग-प्रतिरोधी से संबंधित इन विनियमों के विभिन्न उपबंधों और संबंधित मानवाधिकारों के गुण-दोष विवेचन तथा शारीरिक दंड के प्रति संवेदीकरण से संबंधित विषयों पर इनपुट और छात्रों के बीच डराने-धमकाने को रोकने के संबंध में सेवेदनशील बनाएगा ताकि प्रत्येक अध्यापक, काउंसलिंग दृष्टिकोण के कम से कम मूल तत्वों पर कार्रवाई करने के लिए साधन सम्पन्न हो सके;

(iii) कैंटीनों या भोजनालयों के नियोक्ताओं या कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे कि वे रैगिंग की घटनाओं पर सख्त निगरानी रखें और कॉलेज प्राधिकारियों को इनकी सूचना दें;

(iv) छात्रावासों के संविदात्मक कर्मचारियों और निगरानी या सुरक्षा स्टाफ सहित सभी सांस्थानिक कर्मचारियों और स्टाफ को, रैगिंग नियंत्रित करने की सांस्थानिक योजनाओं से उपयुक्तत: अवगत कराया जाएगा और सौंपी गई ड्यूटियां स्पष्ट की जाएंगी.

(v) संविदात्मक कर्मचारियों सहित सभी सांस्थानिक कर्मचारियों और स्टाफ के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे एक वचनपत्र दें कि वह रैगिंग के किसी मामले, जो उसकी जानकारी में आता है, की सूचना तुरंत देगा;

(vi) मेडिकल कॉलेज या संस्थान के सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया जाएगा कि वे कार्य के अपने क्षेत्र में सख्त निगरानी रखें और आवश्यकता के अनुसार रैगिंग की घटनाओं की सूचना समुचित प्राधिकारियों को दें;

(vii) मेडिकल कॉलेज या संस्थान, प्रशंसा प्रमाणपत्र जारी करके, उन्हें सम्मानित करके और उनके सेवा रिकार्डों में उचित प्रविष्टियां करके, रैगिंग की घटनाओं की रिपोर्टिंग जैसे रैगिंग-प्रतिरोधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए कर्मचारियों का सम्मान करने और उन्हें पुरस्कृत करने की व्यवस्था करें।

11. सांस्थानिक समितियां और संबंधित उपाय:- (1) प्रत्येक मेडिकल कॉलेज या संस्थान, निम्नलिखित समितियां गठित करेगा और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को नियंत्रित करने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमावली, 2009 के विनिमय 6.3 और इन विनियमों में उपबंधित संबंधित उपाय करेगा।

(2) मेडिकल कॉलेज या संस्थान एक रैगिंग-प्रतिरोधी समिति गठित करेगा।

(3) रैगिंग-प्रतिरोधी समिति में मोटे तौर पर निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह संस्थान प्रमुख द्वारा विधिवत् गठित होगी और इसमें भिन्न-भिन्न स्तरों और जेंडर के व्यक्तियों का एक विविध मिश्रण होगा, नामत:

(i) संस्थान प्रमुख;

(ii) संकाय सदस्यों के प्रतिनिधि;

(iii) फ्रेशर्स श्रेणी संबंधित छात्रों के प्रतिनिधि;

(iv) वरिष्ठ छात्रों के प्रतिनिधि;

(v) माता-पिता के प्रतिनिधि;

(vi) गैर-अध्यापन स्टाफ के प्रतिनिधि;

(vii) सिविल और पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि;

(viii) स्थानीय मीडिया के प्रतिनिधि;

(ix) युवाओं के क्रियाकलापों में शामिल गैर-सरकारी संगठन।

(4) रैगिंग-प्रतिरोधी समिति की ड्यूटियों में निम्नलिखित ड्यूटियां शामिल होंगी, परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगी:-

(i) मेडिकल कॉलेज या संस्थान के रैगिंग-प्रतिरोधी क्रियाकलापों की समग्र मॉनीटरिंग;

(ii) इन विनियमों और तत्समय लागू किसी अन्य कानून दोनों के रैगिंग से संबंधित उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(iii) रैगिंग-प्रतिरोधी दस्ते के क्रियाकलापों की मॉनीटरिंग;

(iv) रैगिंग, यदि कोई हो, की रिपोर्टों की जांच-पड़ताल करना या इस उद्देश्य के लिए गठित समितियों का अनुमोदन करना;

(v) रैगिंग का निषेध और रोकथाम करने के लिए मेडिकल कॉलेज या संस्थान द्वारा किए गए उपायों के सुधार के लिए सुझाव देना।

12. रैगिंग-प्रतिरोधीदस्ता –(1)संस्थान एक रैगिंग-प्रतिरोधी दस्ताव गठित करेगा।

(2) संस्थान प्रमुख द्वारा गठित रैगिंग-प्रतिरोधी दस्ते में मोटे तौर पर वार्डन और अन्य स्टाफ, जो आवश्यक हों, सहित संकाय सदस्य और छात्रावास का स्टाफ होगा और महिला छात्रावासों के लिए निर्धारित सदस्यों के साथ रैगिंग-प्रतिरोधी दस्ते में जेंडर का एक विवेकपूर्ण मिश्रण होगा।

(3) रैगिंग-प्रतिरोधी दस्ते की ड्यूटियों में निम्नलिखित ड्यूटियां शामिल होंगी परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगी:-

(i) ड्यूटी रोस्टर का पालन करना, यदि तैयार किया गया है;

(ii) हर समय सतर्क और फुरतीला बने रहना और आवश्यक ब्योरे भी उपलब्ध कराना ताकि सदस्य, फ्रेशर्स और अन्य छात्रों द्वारा भी आसानी से पहुंचयोग्य हो सके;

(iii) विषम समय पर भी छात्रावासों, बोर्डिंग क्षेत्रों, खेल के मैदानों और परिवहन सुविधाओं तथा अन्य क्षेत्रों में औचक जांच करना, जिसके लिए रैगिंग-प्रतिरोधी दस्ते को विधिवत् शक्ति प्रदान की जाएगी;

(iv) वरिष्ठ छात्रों द्वारा इन विनियमों के अनुपालन के संबंध में विवेकपूर्ण जांच करना;

(v) मेडिकल कॉलेज या संस्थान द्वारा बनाई गई रूपरेखा के अनुसार रैगिंग की रिपोर्ट न किए जाने की संभावना वाली घटनाओं का पता लगाने के लिए गुप्त सर्वेक्षण करना जो यादृच्छिक हो;

(vi) संभावित रैगिंग के अप्रत्यक्ष साक्ष्यों या किसी चोट के लिए फ्रेशर्स की जांच करना, जैसे दिन के दौरान जागते रहने में असमर्थता जिससे पूरी रात रैगिंग की संभावना का संकेत मिलता हो या रैगिंग के डर के कारण सोने में असमर्थता;

(vii) असुरक्षित क्षेत्रों, जैसे फ्यूज हो गए बल्बों आदि के कारण अंधेरे स्थानों, को ठीक करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को सूचित करना;

(viii) रैगिंग की घटनाओं पर तत्काल और अन्य आवश्यक जांच करना और रैगिंग-प्रतिरोधी समिति को सूचित करना;

(ix) संस्थान प्रमुख और अन्य प्राधिकारियों को रैगिंग के सभी मामलों की सूचना देना, जैसा भी अपेक्षित हो;

(x) किसी रजिस्टर में अभ्युक्तियों या निष्कर्षों, यदि कोई हों, सहित जांच करने के समय और ब्योरों के संबंध में प्रविष्टियां करना।

13. रैगिंग-प्रतिरोधी नियंत्रण कक्ष या हेल्पलाइन –(1) मेडिकल कॉलेज या संस्थान, इन विनियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए रैगिंग-प्रतिरोधी नियंत्रण कक्ष या हेल्पलाइन स्थापित करेगा।

(2) यह बेहतर है कि रैगिंग-प्रतिरोधी नियंत्रण कक्ष छात्रावास परिसर के अंदर या निकट स्थित हो, जिसमें 24 घंटे व्यक्ति मौजूद हो और दाखिले के समय सभी छात्रों और उनके माता-पिता को संपर्क नंबर उपलब्ध कराए जाएंगे।

(3) रैगिंग-प्रतिरोधी नियंत्रण कक्ष या हेल्पलाइन, रैगिंग की घटनाओं से उत्पन्न सभी आपातकालिक स्थितियों के लिए एक एकल स्थान संपर्क स्थान हो सकती है और कॉल प्राप्त होने पर आवश्यक सूचना, सुरक्षा और पुलिस सहित समुचित कर्मियों को तुरंत प्रसारित की जाएगी और साथ ही साथ पुन: प्रसारित की जाएगी।

14. मेंटरिंग समिति या मेंटरिंग कक्ष –(1) मेडिकल कॉलेज या संस्थान, इन विनियमों के उद्देश्यों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, प्रत्येक शैक्षिक सत्र के अंत में एक मेंटरिंग समिति या मेंटरिंग कक्ष गठित करेगा।

(2) मेंटरिंग समिति या मेंटरिंग कक्ष ऐसे संकाय सदस्यों की एक सूची तैयार करेगा, जो मेंटरिंग प्रक्रिया में वालंटियर हो सकते हैं।

(3) यदि ऐसी इच्छा हो या कनिष्ठ मेंटरों के एक समूह के साथ मेंटरिंग की प्रणाली की कोशिश की जा सकती है या श्रेणीकरण किया जा सकता है, जिसका पर्यवेक्षण या निगरानी एक एकल वरिष्ठ मेंटर द्वारा की जा सकती है।

(4) प्रत्येक मेंटर के अधीन छात्रों की संख्या, मेडिकल कॉलेज या संस्थान द्वारा समुचित ढंग से तय की जा सकती है परंतु जहां तक संभव हो, यह संख्या 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(5) मेंटरों के कार्य मोटे तौर पर निम्नलिखित होंगे, नामत:

(i) मेडिकल कॉलेज या संस्थान में फ्रेशर द्वारा सामना की जा रही समस्याओं या कठिनाइयों, यदि कोई हों, का पता लगाने के लिए हर दिन मेंटी फ्रेशर छात्र के साथ एक एक करके विचार-विमर्श करेगा;

(ii) इन पर पार पाने में फ्रेशर को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा;

(iii) छात्रावासों के कमरों के अचानक दौरे करेगा, जहां समूह का/के सदस्य ठहरा हुआ/ठहरे हुए हैं;

(iv) छात्र द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर चर्चा करने और समाधान उपलब्ध कराने के लिए मेंटी के माता-पिता या अभिभावकों के साथ विचार-विमर्श करेगा;

(v) अपने नियंत्रणाधीन फ्रेशरों के साथ अपने विचार-विमर्श की एक डायरी रखेगा;

(vi) संकाय सदस्य मेंटरों के पर्यवेक्षणाधीन वरिष्ठ छात्रों की मेंटरिंग प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है।

15. छात्र मामले या छात्रावास समिति –(1) मेडिकल कॉलेज या संस्थान, किसी वरिष्ठ संकाय सदस्य के अधीन छात्रावास के मामलों की देखभाल करने के लिए एक अलग छात्र मामले या छात्रावास समिति रखेगा जो छात्रावासों के मामलों पर नज़र रखेगा।

(2) विनियम 16 में उल्लिखित नामजद वार्डन छात्र मामले या छात्रावास समिति के अधीन कार्य कर सकते हैं जो छात्रावासों से संबंधित सभी रैगिंग प्रतिराधी उपायों को कार्यान्वित और समन्वय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

16. वार्डन –(1)छात्रावास वार्डन, छात्रावासों में छात्रों के प्रशासनिक कार्योंकी देखभाल करने, बोर्डिंग और लॉजिंग का पर्यवेक्षण करने और यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त या नामजद किया गया एक व्यक्ति है कि लागू होने वाले नियमों और विनियमों का पालन किया गया है।

(2) वार्डन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संबंधित विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या मेडिकल कॉलेज या संस्थान द्वारा विनिर्धारित पात्रता मापदंडों के अनुसार नियुक्त किए जाएंगे।

(3) वार्डनों की सहायता, उप-वार्डनों या सहायक वार्डनों द्वारा की जा सकती है, जो वार्डन के पर्यवेक्षणाधीन उसी प्रकार की ड्यूटियां करेंगे।

(4) वार्डन, छात्र मामले या छात्रावास समिति के अधीन या मेडिकल कॉलेज या संस्थान द्वारा यथा अनुमोदित तरीके से कार्य कर सकता है।

(5) वार्डन की, मेडिकल कॉलेज या संस्थान के रैगिंग-प्रतिरोधी प्रयासों में निभाने के लिए एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण भूमिका होगी क्योंकि छात्रावास असुरक्षित क्षेत्र है, विशेष रूप से सामान्य शिक्षण समय के पश्चात, जब छात्रावासों में फ्रेशर्स और वरिष्ठ छात्रों की एक-दूसरे का सामना करने की संभावना होती है।

(6) वार्डन हर समय पहुंचयोग्य होंगे और उन्हें मोबाइल फोन उपलब्ध कराए जाएंगे।

(7) मेडिकल कॉलेज या संस्थान, वार्डन और रैगिंग के खतरे को नियंत्रित करने में शामिल वार्डन और प्राधिकारियों की शक्तियों की समीक्षा करेगा और उनमें उपयुक्तत: वृद्धि करेगा।

(8) मेडिकल कॉलेज या संस्थान, रैगिंग-प्रतिरोधी उपायों के लिए छात्रावासों में सुरक्षा कर्मियों को नियंत्रित करने के लिए वार्डन को सशक्त करेगा।

17. विश्वविद्यालय के कर्तव्य और जिम्मेदारियां –(1) मेडिकल कॉलेज या संस्थानों का संचालन करने वाला प्रत्येक विश्वविद्यालय, उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग का खतरा नियंत्रित करने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमावली, 2009 में दिए गए उपबंधों के आधार पर रैगिंग को नियंत्रित करने के लिए अपने स्वयं के विनियम बना सकता है।

(2) समग्र मॉनीटरिंग, समीक्षा करने और संबद्ध कॉलेजों में रैगिंग के निषेध और रोकथाम के लिए सभी सुसंगत विनियमों और तत्समय लागू अन्य कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होने के नाते प्रत्येक विश्वविद्यालय, उन मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा जो उससे संबद्ध हैं।

(3) प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक मॉनीटरिंग समिति होगी जो संबद्ध मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों की सभी रैगिंग-प्रतिरोधी क्रियाकलापों के कार्यान्वयन परिवाहक होगी।

(4) उप-विनियम (3) में उल्लिखित मॉनीटरिंग समिति –

(i) सही अर्थ में नियमित रूप से इन विनियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी;

(ii) निम्नलिखित से संबंधित क्रियाकलापों की निगरानी और मॉनीटरिंग करेगी:

(क) रैगिंग-प्रतिरोधी समिति, रैगिंग-प्रतिरोधी दस्ते और मेंटरिंग समिति या मेंटरिंग कक्ष;

(ख) रैगिंग-प्रतिरोधी विनियमों और कानूनों का प्रसार;

(ग) अभिमुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन;

(घ) अभिमुखीकरण और काउंसलिंग सत्रों का आयोजन;

(ङ) संघटक कॉलेजों या संस्थानों से प्राप्त रैगिंग से संबंधित जांच-पड़तालों की रिपोर्टों की समीक्षा और अनुमोदन करना;

(च) अध्याय IV के उपबंधों के अंतर्गत यथा उपबंधित, मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों द्वारा रैगिंग की घटनाओं की जांच-पड़ताल;

(छ) मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों द्वारा सुधार के लिए सुझावों का कार्यान्वयन; और

(ज) कोई अन्य ऐसा क्रियाकलाप, जो समय-समय पर आवश्यक हो।

(5) प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने संबद्ध मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों के संबंध में रैगिंग की घटनाओं से संबंधित सभी निर्णयों या आदेशों के लिए एक अपीलीय निकाय के रूप में कार्य करेगा, जैसाकि विनियम 25 के अंतर्गत उपबंधित है।

(6) विश्वविद्यालय, अपने संबद्ध मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों के रैगिंग-प्रतिरोधी उपायों की नियमित रूप से समीक्षा करेगा।

(7) विश्वविद्यालय, आयोग और राज्य सरकारों या केंद्र सरकार, जो भी समुचित हो, को सूचित करते हुए ऐसे अनुपालन के लिए, इससे संबद्ध चूककर्ता मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों के विरुद्ध उचित कार्रवाई, जो आवश्यक हो, करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल कार्रवाइयां शामिल हो सकती हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:-

(i) संबद्धता या मान्यता या प्रदान किया गया विशेषाधिकार की वापसी; या

(ii) ऐसे मेडिकल कॉलेज या संस्थान का, विश्वविद्यालय की कोई डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करने के लिए उसमें अध्ययन के किसी कार्यक्रम में उस समय अध्ययनरत किसी छात्र या छात्रों को उपस्थित होने से निषेध करना; या

(iii) मेडिकल कॉलेज या संस्थान को दिए जाने वाले अनुदानों की वापसी; या

(iv) रैगिंग की घटनाओं और मेडिकल कॉलेज या संस्थान द्वारा उन पर की गई कार्रवाइयों सहित अनुपालन को वेबसाइट पर डालना; या

(v) उस विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अंतर्गत उपबंधित कोई अन्य कार्रवाई, जो उचित समझी जाए।

(8) विश्वविद्यालय, एक सुसाध्यकर्ता की भूमिका निभाएंगे और मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों में रैगिंग के निषेध और रोकथाम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपाय कार्यान्वित करने हेतु, उनसे संबत्र मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों को सुझाव प्रदान करेंगे।

(9) रैगिंग की घटनाओं से संबंधित सभी रिपोर्टें और उनकी अपीलें, आयोग को उपलब्ध कराई जाएंगी।

(10) प्रत्येक विश्वविद्यालय, आयोग के साथ समन्वय रखेगा, विशेष रूप से जब संस्थानों, पाठ्यक्रमों और डिग्रियों की विमान्यता से संबंधित दंडात्मक उपायों से इसका संबंध हो क्योंकि चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण के कुछ पहलू, अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत विनियमित होते हैं।

18. आयोग के कर्त्तव्य और जिम्मेदारियां –(1) आयोग, उन विनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन और अनुपालन के संबंध में, उन विश्वविद्यालयों, जिनसे वे संबद्ध हैं, के जरिए मेडिकल कॉलेज या संस्थानों को मॉनीटर करेंगे।

(2) प्रत्येक मेडिकल कॉलेज या संस्थान, फार्म ।।। में दिए गए प्रपत्र पर हर वर्ष आयोग को एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) आयोग, मेडिकल मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा मान्यता निरीक्षणों या मूल्यांकनों के दौरान अनुपालन की समीक्षा करेगा।

(4) न्यायालयों से अपीलों के परिणामों और निर्देशों, यदि कोई हों, सहित रैगिंग की सभी घटनाएं और उनकी रिपोर्टें, मेडिकल कॉलेज या संस्थान द्वारा और उस विश्वविद्यालय, जिससे वे मेडिकल कॉलेज या संस्थान संबद्ध हैं, द्वारा आयोग को उपलब्ध कराई जाएगी।

(5) यदि कोई मेडिकल कॉलेज या संस्थान, इन विनियमों का अनुपालन करने और रैगिंग को नियंत्रित करने में विफल रहता है तो आयोग, समुचित कार्रवाई, जो उचित समझी जाए, करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल है परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है, नामत:-

(i) उस मेडिकल कॉलेज या संस्थान के विरुद्ध विमान्यता प्रक्रिया आरंभ कर देना;

(ii) उस मेडिकल कॉलेज या संस्थान की प्रवेश क्षमता उस सीमा तक कम करना जो आयोग उचित समझे;

(iii) उस मेडिकल कॉलेज या संस्थान में, अगले आदेशों तक, आगे दाखिला रोक देना;

(iv) स्नातक-पूर्व, स्नातकोत्तर और अति विशेषज्ञता आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रमों के लिए अनुमति का नवीकरण रोक देना;

(v) सभी संबंधितों की जानकारी के लिए, संबंधित मेडिकल कॉलेज या संस्थान पर लगाए गए दंड के संबंध में सूचना, आयोग की वेबसाइट पर डालना;

(vi) कोई अन्य निवारक उपाय, जो आवश्यक हो।

19. न्यायालय –न्यायालय, यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकते हैं कि रैगिंग वाले मामले प्राथमिकता के आधार पर लिए जाएं ताकि सही संदेश भेजा जा सके कि रैगिंग को केवल हतोत्साहित ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इस पर कठोरता से कार्रवाई की जानी चाहिए।

अध्याय IV

रैगिंग की घटनाओं पर कार्रवाई करना

20. अनुशासनिक मामलों का समाधान संस्थानों के परिसर के अंदर किया जाना चाहिए –अनुशासन के सभी मामलों का समाधान, उस मेडिकल कॉलेज या संस्थान के परिसर के अंदर किया जाना चाहिए, सिवाय ऐसे मामलों के, जिनमें कानून और व्यवस्था का अतिक्रमण हो या शांति अथवा लोक शांति भंग होती हो जिस पर तत्समय लागू दांडिक कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

21. रैगिंग की घटनाओं की रिपोर्टिंग– (1) रैगिंग की प्रत्येक घटना की सूचना देना सभी संबंधितों के लिए अनिवार्य है।

(2) यहां तक कि किसी फ्रेशर द्वारा भी रैगिंग की किसी घटना की सूचना न देने को गंभीरता से लिया जाएगा और इसका अर्थ रैगिंग के लिए उकसाना हो सकता है।

(3) रैगिंग की किसी घटना की रिपोर्ट शिकायत, निम्नलिखित द्वारा की जा सकती है:-

(i) कोई फ्रेशर या माता-पिता या अन्य छात्र; या

(ii) छात्रावास के प्राधिकारी, सुरक्षा कर्मी या कोई अन्य स्टाफ जैसे कैंटीन स्टाफ; या

(iii) संस्थान प्रमुख, संकाय सदस्य या अचानक जांच करने पर रैगिंग-प्रतिरोधी दस्ते या रैगिंग-प्रतिरोधी समिति के सदस्य; या

(iv) अन्य जैसे स्थानीय पुलिस या जिला प्राधिकारियों को सीधे शिकायत।

(4) सभी मामलों में, किसी अपवाद के बिना, शिकायतकर्ता विशेष रूप से छात्रों के नाम गुप्त रखे जाएंगे, जब तक अन्य अनुमतियोग्य न हो।

(5) रैगिंग की घटनाओं से संबंधित प्रत्येक सूचना या शिकायत, या तो प्रत्यक्ष रूप से या नियंत्रण कक्ष या रैगिंग-प्रतिरोधी हेल्पलाइन के जरिए तुरंत और साथ ही साथ संस्थान प्रमुख को संसूचित की जाएगी।

(6) मेडिकल कॉलेज या संस्थान के अन्य पदाधिकारियों, जो पहले से ही निश्चित किए जाएंगे, जैसे रैगिंग-प्रतिरोधी दस्ते या रैगिंग-प्रतिरोधी समिति के सदस्यों, छात्रावास वार्डन, सुरक्षा स्टाफ और अन्यों को भी साथ ही साथ सूचित किया जाएगा।

(7) रैगिंग की घटनाओं के संबंध में सूचना, विश्वविद्यालय, जिला प्राधिकारियों, पुलिस प्राधिकारियों को तुरंत पुन: प्रसारित करने के लिए मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों द्वारा आवश्यक तंत्र लागू किया जाएगा।

22. तत्काल कार्रवाई –(1) रैगिंग की किसी घटना की सूचना प्राप्त होने पर, रैगिंग-प्रतिरोधी दस्ता या समुचित प्राधिकारी तुरंत तत्काल जांच करेगा और संस्थान प्रमुख को एक रिपोर्ट या सिफारिश प्रस्तुत करेगा।

(2) ऐसी सूचना या सिफारिश की प्राप्ति पर संस्थान प्रमुख विनियम 23 में विनिर्दिष्ट जांच के पश्चात तुरंत निर्धारित करेगा कि क्या दांडिक कानूनों के अंतर्गत मामला बनता है, ऐसी सूचना या सिफारिश की प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर या तो अपनी ओर से स्वयं या रैगिंग-प्रतिरोधी समिति के सदस्य या इस संबंध में उसके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत प्राधिकारी के जरिए, समुचित दांडिक उपबंधों के अंतर्गत पुलिस और स्थानीय प्राधिकरणों में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्यवाही करेगा।

(3) यदि कोई माता-पिता या छात्र, पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट सीधे दर्ज कराता है तो मेडिकल कॉलेज या संस्थान का प्रमुख, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाता।

(4) संस्थान प्रमुख, उस विश्वविद्यालय, जिससे मेडिकल कॉलेज या संस्थान संबद्ध है, को और जिले के नोडल रैगिंग-प्रतिरोधी प्राधिकारी तथा आयोग को भी सूचित करेगा।

23. सांस्थानिक जांच या जांच-पड़ताल और रिपोर्ट –(1) संस्थान प्रमुख, किसी अन्य प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना, रैगिंग की घटना की जांच या जांच-पड़ताल करने के लिए एक विशिष्ट समिति गठित करेगा, चाहे इसकी जांच-पड़ताल, पुलिस या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा भी की जा रही हो।

(2) जांच या जांच-पड़ताल, किसी पक्षपात या दुर्भावना के बिना, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखते हुए और रैगिंग की घटना से संबंधित साक्ष्यों, दस्तावेजों और विचारों को उसके समक्ष रखने के लिए रैगिंग के आरोपी छात्र या छात्रों तथा अन्य साक्षियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए तथा ऐसी अन्य सूचना, जो अपेक्षित हो, पर विचार करते हुए, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से, स्थल या स्थान को शामिल करते हुए गहनता से की जाएगी।

(3) रैगिंग की घटना की सूचना या रिपोर्टिंग के सात दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और रिपोर्ट विधिवत् प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(4) यह रिपोर्ट संस्थान प्रमुख या रैगिंग-प्रतिरोधी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(5) रैगिंग-प्रतिरोधी समिति रिपोर्ट की जांच करेगी, उस पर निर्णय लेगी और संस्थान प्रमुख को अगली प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश करेगी।

24. सांस्थानिक प्रशासनिक और दांडिक कार्रवाइयां –(1) प्रत्येक मेडिकल कॉलेज या संस्थान, विनियम 23 के अंतर्गत रैगिंग-प्रतिरोधी समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के पश्चात आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करेगा, जो उचित समझी जाए।

(2) समुचित समिति द्वारा की गई सांस्थानिक जांच या जांच-पड़ताल की रिपोर्ट स्वीकार कर लेने पर रैगिंग-प्रतिरोधी समिति, अध्याय ।। के उपबंधों के अंतर्गत दिए गए रैगिंग के कृत्य के सिद्ध हुए दोष के स्वरूप, गहनता और गंभीरता पर निर्भर करते हुए उप-विनियम (5) और (6) के अंतर्गत उपबंधित एक या एक से अधिक कार्रवाई की सिफारिश करेगी, बावजूद इसके कि यह कार्रवाई, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति के विरुद्ध निवारक के रूप में उदाहरणात्मक और न्यायसंगत रूप में कठोर होगी।

(3) जहां सांस्थानिक जांच या जांच-पड़ताल के निष्कर्षों और उसकी उत्तरवर्ती सिफारिशों के आधार पर, रैगिंग का कृत्य करने या उसके लिए उकसाने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं होती है तो मेडिकल कॉलेज या संस्थान, संभावित रैगिंग कर्ताओं पर सामुदायिक दबाव सुनिश्चित करने के लिए निवारक के रूप में, एक से अधिक व्यक्तियों के या व्यक्तियों के एक समूह के सामूहिक दंड का सहारा लेगा।

(4) मोटे तौर पर उन संघटकों, जिन से सिफारिश की प्राप्ति और अनुमोदन पर दंडात्मक कार्रवाई आवश्यक हो जाती है, में निम्नलिखित संघटक शामिल हैं, परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:-

(i) रैगिंग के लिए उकसाना;

(ii) रैगिंग के लिए आपराधिक साजिश;

(iii) रैगिंग करते समय विधि विरुद्ध जमाव और उपद्रव;

(iv) रैगिंग के दौरान सृजित लोक-कंटक;

(v) रैगिंग के जरिए शालीनता और धैर्य का उल्लंघन;

(vi) शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अपमान;

(vii) शारीरिक चोट पहुंचाना, चोट या गंभीर चोट मारना;

(viii) सदोष अवरोध;

(ix) सदोष परिरोध;

(x) आपराधिक बल प्रयोग;

(xi) प्रहार और यौन अपराध या यहां तक कि प्रकृति विरुद्ध अपराध;

(xii) किसी भी रूप में खसोट;

(xiii) आपराधिक अभित्रास;

(xiv) आपराधिक अतिचार;

(xv) संपत्ति के प्रति अपराध;

(xvi) किया गया कोई अन्य कृत्य जो विनियम 3 और 4 के अंतर्गत उपबंधित है।

(5) उन दंडात्मक कार्रवाइयों, जिनका निर्णय लिया जा सकता है, के स्वरूप में निम्नलिखित कार्रवाइयां शामिल होंगी परंतु ये, की जाने वाली इन दंडात्मक कार्रवाइयों में से एक या एक से अधिक, जो भी उचित समझी जाए, तक सीमित नहीं होंगी, नामत:-

(i) कक्षाओं में भाग लेने और शैक्षिक विशेषाधिकारों से निलंबन;

(ii) छात्रवृत्ति या फेलोशिप या अन्य लाभ रोक लेना या वापस लेना;

(iii) किसी टेस्ट या परीक्षा या अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेने से विवर्जित कर देना;

(iv) परिणाम रोक लेना;

(v) सम्मेलनों और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेने से विवर्जित कर देना;

(vi) किसी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बैठक, टूर्नामेंट, युवा पर्व आदि में भाग लेने से विवर्जित कर देना;

(vii) छात्रावास से निलंबन या न्किासन;

(viii) पच्चीस हजार रुपए से एक लाखरुपए तक की रेंज में जुर्माना लगाना;

(ix) दाखिले का निरस्तीकरण;

(x) मेडिकल कॉलेज या संस्थान से एक सेमेस्टर से चार सेमेस्टर तक की रेंज में अस्थायी बहिष्कार;

(xi) मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों से निष्कासन और परिणामत: एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य संस्थान में दाखिले से विवर्जन।

(6) विनियम 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेडिकल कॉलेज या संस्थान के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह छात्र को जारी किए गए माइग्रेशन प्रमाणपत्र या स्थानांतरण प्रमाणपत्र में यह प्रविष्टि करे कि क्या छात्र को रैगिंग करने या रैगिंग के लिए उकसाने के अपराध के लिए दंडित किया गया है या नहीं और छात्र ने निरंतर हिंसक या आक्रामक व्यवहार या अन्यों को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति दर्शाई है।

(7) न्यायालय द्वारा यथा निर्देशित किसी अन्य उपाय का भी मेडिकल कॉलेज या संस्थान द्वारा पालन किया जाएगा।

(8) संस्थान प्रमुख, सांस्थानिक स्तर की जांच या जांच-पड़ताल के निष्कर्षों और उन पर की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट के साथ, विनियम 22 के उप-विनियम (4) के अंतर्गत उपबंधित रैगिंग की घटना के संबंध में सूचना का अनुवर्तन उस विश्वविद्यालय के साथ करेगा जिसके साथ मेडिकल कॉलेज या संस्थान संबद्ध है।

(9) संस्थान प्रमुख, विनियम 22 के उप-विनियम (4) के उपबंधों के अनुसार, पहले सूचित करके, रैगिंग की घटना और उस पर की गई कार्रवाइयों से संबंधित एक रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराएगा।

25. अपीलीय प्राधिकारी –प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है या जिसे दंड दिया गया है, को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित के पास अपील करने का अधिकार होगा, नामत:-

(क) मेडिकल कॉलेज या संस्थान के स्तर पर निर्णयों या आदेशों के लिए:

(i)उस विश्वविद्यालय का कुलपति, जिसके साथ मेडिकल कॉलेज या संस्थान संबद्ध है;

(ii) राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के मामले में निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी;

(ख) विश्वविद्यालय के स्तर पर निर्णयों या आदेशों के लिए:

(i)उस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, जिसके साथ मेडिकल कॉलेज या संस्थान संबद्ध है;

(ii) राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के मामले में सभापति।

26. जिम्मेदारी निर्धारित करना –(1) रैगिंग की घटना की जांच या जांच-पड़ताल के अलावा, इसकी उपयुक्तत: जांच की जाएगी, यदि ऐसी घटना की रोकथाम करने और कार्रवाई करने में मेडिकल कॉलेज या संस्थान द्वारा कोई कर्त्तव्यत्याग या चूक की गई है।

(2) संस्थान प्रमुख, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध तुरंत और समुचित कार्रवाई करेगा, जिसके कर्त्तव्यत्याग के परिणामस्वरूप घटना हुई।

(3) यदि चूक संस्थान प्रमुख की ओर से हुई है तो उसके बदले संस्थान प्रमुख को नियुक्त करने के लिए नामजद प्राधिकारी तुरंत और समुचित कार्रवाई करेगा।

(4) समुचित दांडिक परिणामों के अलावा, ऐसे संस्थान प्रमुख या प्रशासन के सदस्यों या संकाय सदस्यों या गैर-शिक्षण स्टाफ या अन्यों जिन्होंने रैगिंग की शिकायतों के प्रति सहानुभूति या असंवेदनशील मनोवृत्ति दर्शाई है, के विरुद्ध विभागीय जांच आरभ की जा सकती है।

(5) अनुभवों के आधार पर मेडिकल कॉलेज या संस्थान द्वारा उपचारात्मक उपाय स्थापित किए जाएंगे।

(6) इस विनियम के उपबंधों के अंतर्गत की गई कार्रवाइयों के संबंध में विश्वविद्यालय और आयोग को सूचित किया जाएगा।

27. संबद्ध विश्वविद्यालय के कार्य –(1) विश्वविद्यालय, जिसके साथ मेडिकल कॉलेज या संस्थान संबद्ध है, को विनियम 21 के उप-विनियम (7) के अंतर्गत यथा अपेक्षित उस मेडिकल कॉलेज या संस्थान द्वारा रैगिंग की घटना सूचित की जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज या संस्थान से जांच या जांच-पड़ताल और की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त करेगा।

(3) विश्वविद्यालय, विनियम 25 के अंतर्गत यथा उपबंधित अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

(4) विश्वविद्यालय, विनियम 17 के उपबंधों के अनुसार ऐसी कार्रवाई करेगा, जो उचित समझी जाए।

(5) विश्वविद्यालय, न्यायालय से जारी किए गए आदेशों या निर्देशों, यदि कोई हों, का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

28. आयोग के कार्य –(1) आयोग को, विनियम 21 के उप-विनियम (7) के अंतर्गत यथा अपेक्षित, मेडिकल कॉलेज या संस्थान द्वारा रैगिंग की घटना सूचित की जाएगी।

(2) आयोग, मेडिकल कॉलेज या संस्थान और विश्वविद्यालय से, अपील के परिणाम सहित जांच या जांच-पड़ताल और की गई कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करेगा।

(3) आयोग, रिपोर्टों की समीक्षा करने के पश्चात, विनियम 18 के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई करेगा।

(4) उप-विनियम (1) से (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग निम्नलिखित कार्रवाइयां कर सकता है, यदि वह उचित समझे, नामत:-

(क) समुचित सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा नामजद किए गए ऐसे प्राधिकारी को, गलती करने वाले मेडिकल कॉलेज या संस्थान द्वारा भुगतानयोग्य, रैगिंग की प्रत्येक घटना के लिए एक लाख रुपए का उदाहरणात्मक जुर्माना लगाना; या

(ख) गलती करने वाले मेडिकल कॉलेज या संस्थान या विश्वविद्यालय को न्यूनतम शैक्षिक मानक न रखने वाले के रूप में घोषित करना और सार्वजनिक सूचना के जरिए और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाल कर, उस मेडिकल कॉलेज या संस्थान या विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए संभावित अभ्यर्थियों को चेतावनी देना; या

(ग) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के अध्याय VI के उपबंधों के अंतर्गत एक वर्ष की न्यूनतम अवधि, जो आयोग द्वारा उतनी मात्रा तक विस्तारणयोग्य होगी, जो गलती के अनुरूप हो, के लिए, कोई आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के लिए अपात्र के रूप में घोषित करना।

फार्म ।

[विनियम 7 के उप-विनियम (2) के खंड (i) का उप-खंड (क) और खंड (ii) काउप-खंड (क)देखें]

छात्र द्वारा वचनपत्र का प्रारूप

..... (विश्वविद्यालय का नाम) से संबद्ध ..... (कॉलेज/संस्थान का नाम) में दाखिल संख्या ..... के साथ ..... (पाठ्यक्रम का नाम) के पाठ्यक्रम में दाखिल किया गया, मैं ..... (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम), सुपुत्र/सुपुत्री श्री/श्रीमती/सुश्री ..... (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम और निषेध) विनियमावली, 2021 (जिसे इसमें आगे उक्त विनियम कहा गया है) की एक प्रति प्राप्त कर ली है।

2. मैंने उक्त विनियमों में दिए गए उपबंध सावधानीपूर्वक पढ लिए हैं और पूरी तरह समझ लिए हैं।

3. मैंने उक्त नियमावली के नियम 3 और 4 के उपबंधों का विशेष रूप से अवलोकन कर लिया है और पूरी तरह समझ लिया है कि "रैगिंग" किन कृत्यों से बनता है।

4. मैंने अध्याय IV के उपबंधों का विशेष रूप से अवलोकन कर लिया है और उन्हें पढ़ लिया है तथा उन प्रशासनिक और दांडिक कार्रवाइयों को समझ लिया है जो मेरे विरुद्ध की जा सकती हैं, यदि मैं रैगिंग करनेया सक्रिय अथवा निष्क्रिय रूप से रैगिंग के लिए उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने की साजिश का भाग होने का दोषी पाया जाता/पाई जाती हूं।

5. मैं एतदद्वारा वचन देता/देती हूं कि-

(i) मैं किसी ऐसे व्यवहार या कृत्य में लिप्त नहीं हूंगा/हूंगी जो उक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत रैगिंग होने की परिभाषा के अंतर्गत आता हो;

(ii) किसी भी रूप में मैं रैगिंग करने, उसके लिए उकसाने या उसका प्रसार करने में भाग नहीं लूंगा/लूंगी, जिसमें उक्त नियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत रैगिंग होने वाले कृत्य शामिल हैं परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;

(iii) मैं किसी को शारीरिक या मनोवैज्ञानिक चोट नहीं पहुंचाउंगा/पहुंचाउंगी या कोई अन्य चोट नहीं पहुंचाउंगा/पहुंचाउंगी।

6. मैं एतदद्वारा सहमति व्यक्त करता/करती हूं कि यदि मैं रैगिंग के किसी पहलू का दोषी पाया जाता हूं/पाई जाती हूं तो मुझे उक्त विनियमों के उपबंधों के अनुसार या तत्समय लागू कानूनों के अनुसार दंड दिया जा सकता है।

7. मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं कभी भी रैगिंग करने या सक्रिय अथवा निष्क्रिय रूप से उसके लिए उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने की किसी साजिश का भाग बनने का दोषी नहीं पाया गया हूं/पाई गई हूं और इन अपराधों के लिए किसी भी तरके से कभी दंडित नहीं किया गया हूं/नहीं की गई हूं और यह भी पुष्टि करता/करती हूं कि यदि यह घोषणा गलत या असत्य हो तो मेरा दाखिला निरस्त किया जा सकता/वापस लिया जा सकता है।

दिनांक ..... को हस्ताक्षर किया गया।

.....

हस्ताक्षर

नाम :

पता :

दूरभाष/मोबाइल नं.:

गवाह 1 के हस्ताक्षर :
(गवाह का नाम) :
पता :

गवाह 2 के हस्ताक्षर :
(गवाह का नाम) :
पता :

फार्म ।।

[विनियम 7 के उप-विनियम (2) के खंड (i) का उप-खंड (ख) और खंड (ii) का उप-खंड (ख)देखें]

अभ्यर्थी/छात्र के माता-पिता/अभिभावक द्वारा वचनपत्र का प्रारूप

..... (विश्वविद्यालय का नाम) से संबद्ध ..... (कॉलेज/संस्थान का नाम) में दाखिल संख्या ..... के साथ ..... (पाठ्यक्रम का नाम) के पाठ्यक्रम में दाखिल किए गए श्री/श्रीमती/सुश्री ..... (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) की माता/का पिता/अभिभावक मैं ..... (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) घोषणा करता/करती हूं कि मैंने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम और निषेध) विनियमावली, 2021 (जिसे इसमें आगे उक्त विनियम कहा गया है) की एक प्रति प्राप्त कर ली है।

2. मैंने उक्त विनियमों में दिए गए उपबंध सावधानीपूर्वक पढ लिए हैं और पूरी तरह समझ लिए हैं।

3. मैंने उक्त नियमावली के नियम 3 और 4 के उपबंधों का विशेष रूप से अवलोकन कर लिया है और पूरी तरह समझ लिया है कि "रैगिंग" किन कृत्यों से बनता है।

4. मैंने अध्याय IV के उपबंधों का विशेष रूप से अवलोकन कर लिया है और उन्हें पढ़ लिया है तथा उन प्रशासनिक और दांडिक कार्रवाइयों को समझ लिया है जो मेरे विरुद्ध की जा सकती हैं, यदि मैं रैगिंग करनेया सक्रिय अथवा निष्क्रिय रूप से रैगिंग के लिए उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने की साजिश का भाग होने का दोषी पाया जाता/पाई जाती हूं।

5. मैं एतदद्वारा वचन देता/देती हूं कि मेरा पुत्र/मेरी पुत्री/आश्रित-

(i) किसी ऐसे व्यवहार या कृत्य में लिप्त नहीं होगा/होगी जो उक्त विनियमावली के विनियम 3 और 4 के अंतर्गत रैगिंग होने की परिभाषा के अंतर्गत आता हो;

(ii) किसी भी रूप में मैं रैगिंग करने, उसके लिए उकसाने या उसका प्रसार करने में भाग नहीं लेगा/लेगी,जिसमें उक्त नियमावली के विनियम 3 और 4 के अंतर्गत रैगिंग होने वाले कृत्य शामिल हैं परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;

(iii) किसी को शारीरिक या मनोवैज्ञानिक चोट नहीं पहुंचाउंगा/पहुंचाउंगी या कोई अन्य चोट नहीं पहुंचाउंगा/पहुंचाउंगी।

6. मैं एतदद्वारा सहमति व्यक्त करता/करती हूं कि यदि मेरा पुत्र/मेरी पुत्री रैगिंग के किसी पहलू का दोषी पाया जाता है/पाई जाती है तो उसे उक्त विनियमों के उपबंधों के अनुसार या तत्समय लागू कानूनों के अनुसार दंड दिया जा सकता है।

7. मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि वह कभी भी रैगिंग करने या सक्रिय अथवा निष्क्रिय रूप से उसके लिए उकसाने या रैगिंग को बढ़ावा देने की किसी साजिश का भाग बनने का दोषी नहीं पाया गया है/पाई गई है और इन अपराधों के लिए उसे किसी भी तरके से कभी दंडित नहीं किया गया है और यह भी पुष्टि करता/करती हूं कि यदि यह घोषणा गलत या असत्य हो तो उसका दाखिला निरस्त किया जा सकता/वापस लिया जा सकता है।

दिनांक ..... को हस्ताक्षर किया गया।

.....

हस्ताक्षर

नाम :

पता :

दूरभाष/मोबाइल नं.:

गवाह 1 के हस्ताक्षर :

(गवाह का नाम) :

पता :

गवाह 2 के हस्ताक्षर :

(गवाह का नाम) :

पता :

फार्म ।।।

[विनियम 7 के उप-विनियम (3) के खंड (vii) और विनियम 18 का उप-विनियम (2) देखें]

शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के विरुद्ध किए गए उपायों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर वार्षिक रूप से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को मेडिकल कॉलेज/संस्थान के प्रमुख द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वचनपत्र का प्रारूप

क्रम सं.	**अपेक्षा**	**कार्रवाई**	**अभ्युक्ति**
1	(क) संस्थान का नाम		
1	(ख) पता और संपर्क नंबर		
1	(ग) संस्थान प्रमुख का नाम		
2	क्या प्रोस्पैक्ट्स/सूचना बुलेटिन और वेबसाइट में रैगिंग-प्रतिरोधी विनियमावली है और रैगिंग के विरुद्ध संभावित कार्रवाइयों का उल्लेख है?	कृपया ब्योरे उपलब्ध कराएं।	
3	क्या रैगिंग-प्रतिरोधी समिति गठित की गई है?	हाँ/नहीं	
4	क्या रैगिंग-प्रतिरोधी दस्ता गठित किया गया है?	हाँ/नहीं	
5	क्या संपर्क किए जाने वाले प्राधिकारियों के नाम, टेलीफोन नंबर प्रचारित किए गए हैं/फ्रेशर्स को उपलब्ध कराए गए हैं?	हाँ/नहीं	ब्योरे उपलब्ध कराएं
6	क्या छात्रावासों में छात्रों को फोन (सेल और लैंडलाइन) तक नि:शुल्क पहुंच की अनुमति है और कष्ट के समय पर प्राधिकारियों से तुरंत संपर्क करने के तंत्र मौजूद हैं?	हाँ/नहीं	
7	क्या वरिष्ठों को परामर्श दिया गया है?	हाँ/नहीं	

8	क्या फ्रेशर्स को परामर्श दिया गया है?	हाँ/नहीं	
9	क्या फ्रेशर्स के अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम चलाए गए हैं?	हाँ/नहीं	
10	रैगिंग-प्रतिरोधी समिति	(क) गठन की तारीख (ख) सदस्यों के नाम और उनके संपर्क नंबर (ग) की गई बैठकों की संख्या (घ) छात्रावासों/अन्य क्षेत्रों के कोई दौरे (ङ) किए गए अन्य उपाय (च) पता लगाए गए मामलों की संख्या (छ) अनुवर्तन के रूप में की गई कार्रवाई	
11	रैगिंग-प्रतिरोधी दस्ता	(क) गठन की तारीख (ख) सदस्यों के नाम और उनके संपर्क नंबर (ग) जांचों का रोस्टर (घ) जांचों की बारंबारता (ङ) अचानक जांचें/छापे (च) पता लगाने गए मामलों की संख्या (छ) अनुवर्तन के रूप में की गई कार्रवाई	
12	जांचें/जांच-पड़तालें	संख्या	ब्योरे उपलब्ध कराएं
13	प्रशासनिक/दांडिक कार्रवाइयां	संख्या	
14	प्रथम सूचना रिपोर्ट	संख्या	
15	क्या छात्रों से वचन पत्र लिया गया है	संख्या	
16	क्या माता-पिता/अभिभावकों से वचनपत्र लिया गया है?		

टिप्पणी : ये मोटे तौर पर दिशानिर्देश हैं परंतु यह आशा की जाती है कि विनियमों का पालन किया गया है और अन्य ब्योरे उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

डॉ. संध्या भुल्लर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./447/2021-22]

NATIONAL MEDICAL COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2021

No. UGMEB/NMC/Rules & Regulations/2021.—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019) and in pursuance of the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India passed in Special Leave Petition (SLP) No. 24295 of 2006, dated the 16th May, 2007 and in Civil Appeal No. 887 of 2009 dated the 8th May, 2009, and the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, the National Medical Commission hereby makes the following regulations namely:-

1. Short title, extent and commencement.— (1) These regulations may be called the National Medical Commission (Prevention and Prohibition of Ragging in Medical Colleges and Institutions) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Academic Year" means the period from the commencement of admission of students to any course of study in the medical college or institution to the completion of academic requirements, including examinations if any, at the end of that particular year;

(b) "Act" means the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019);

(c) "Commission" means the National Medical Commission constituted under section 3 of the Act;

(d) "Fresher" means a student who has been admitted to an institution and who is undergoing his first year of study in such institution;

(e) "Head of the Institution" means the Dean or Principal or Director or any other appropriate authority responsible for administration including academic and affairs related to students, residents and fellows of the concerned medical college or institution;

(f) "Hostel" means any place of residence of students with all its associated areas and facilities such as boarding and administered by the medical college or institution;

(g) "MBBS" means the degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery of a University or an approved institution from India in accordance with the Regulations on Graduate Medical Education, 1997 and subsequent amendments duly recognised by the National Medical Commission under sub-section (2) of section 61of the Act;

(h) "Medical College or Institution" means any institution within India which grants degrees, diplomas or licences in medicine and include affiliated colleges and deemed to be Universities as approved by the Commission and listed with the Undergraduate Medical Education Board or Postgraduate Medical Education Board under the provisions of sections 24, 25 and 35of the Act; and includes but not limited to all areas such as departments, all teaching and learning facilities, hospitals and all its premises whether academic, residential, playgrounds or canteen whether located within or outside the campus and all means of transportation, public or private, used by students in pursuit of their studies;

(i) "Medicine" means modern scientific medicine or allopathy in all its branches and includes surgery and obstetrics, but does not include veterinary medicine and surgery;

(j) "Notification" means notification published in the Official Gazette and the expression "notify" shall be construed accordingly;

(k) "Permanent Registration" is the registration of eligible persons with a duly recognised primary medical qualification as regulated under the provisions of Chapter VI of the Act, that provides license to an individual to independently practice modern scientific system of medicine or allopathy in India;

(l) "Ragging" means the act of misconduct of students towards one another as defined in regulation 4;

(m) "Senior" means a student who is undergoing his study in such institution and has been admitted to an institution in the previous academic year or in an earlier year and therefore implies that he has joined the institution prior to the batch of a fresher;

(n) "Student" means any person enrolled and pursuing a course in any medical college or institution as approved by the Commission;

(o) "University" for the purpose of these regulations shall have the meaning assigned to it in clause (*f*) of section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and includes a health University in India that is established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, an institution deemed to be University under section 3 of the said Act, or an institution specially empowered by an Act of Parliament to confer or grant degrees;

(p) "University Grants Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) ;

(q) "Warden" means an official or officials entrusted with the routine administration and functioning of the hostels by the Head of the Institution.

(2) Words and expressions used in these regulations and not defined herein but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

3. Objective.—The objective of these regulations is to root out ragging in all its forms from medical colleges and institutions in the country, by prohibiting it under these regulations, preventing its occurrence, and instituting punitive measures against those who indulge in ragging as provided for in these regulations and in accordance with prevailing and applicable laws in force.

CHAPTER II

RAGGING

3. Definition of Ragging.—Ragging shall mean any disorderly conduct, whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness any other student, indulging in rowdy or undisciplined activities which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in a fresher or a junior student or asking the students to do any act or perform something which such student will not in the ordinary course and which has the effect of causing or generating a sense of shame or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of a fresher or a junior student.

4. Actions that may constitute ragging.—The following actions shall be included but not limited to those that may constitute ragging, namely:—

(a) any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student;

(b) indulging in rowdy or undisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student;

(c) asking any student to do any act which such the student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student;

(d) any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any other student or a fresher;

(e) exploiting the services of a fresher or any other student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students;

(f) any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or any other student by students;

(g) any act of physical abuse including all variants of it, such as, sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person;

(h) any act or abuse by spoken words, emails, post, snail-mails, blogs, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to fresher or any other student;

(i) any act of physical or mental abuse (including bullying and exclusion) targeted at another student (fresher or otherwise) on the ground of colour, race, religion, caste, ethnicity, gender (including transgender), sexual orientation, appearance, nationality, regional origins, linguistic identity, place of birth, place of residence or economic background;

(j) any act that undermines human dignity and respect through humiliation or otherwise;

(k) any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any other student with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student;

(l) any other act not explicitly mentioned above but otherwise construed as an act of ragging in the letter and spirit of the definition for ragging as provided under regulations 3 and 4.

CHAPTER III

MEASURES TO PROHIBIT AND PREVENT RAGGING BY INSTITUTIONS

5. **Duties and responsibilities of institutions.—**Curbing and eradication of ragging requires the efforts of all stake holders' , namely, seniors, freshers, teachers, parents and the civic society at large and the measures provided in the provisions of this Chapter form the broad guidelines for prohibiting and preventing ragging by the Institution.

6. **Measures to be taken by medical college or institution to prohibit ragging.—** The following measures shall be taken by the medical colleges or institutions for prohibiting ragging, namely:—

(a) no institution, shall not in any manner permit or condone any reported incident of ragging in any form; and all institutions shall take all necessary and required measures, including but not limited to the provisions of these regulations, to achieve the objective of eliminating ragging, within the institution or outside;

(b) every medical college or institution shall take action in accordance with these regulations against those found guilty of ragging or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

7. **Measures to be taken by medical college or institution to prevent ragging.—**(1) The following measures shall be taken by the medical college or institution before the admission process for preventing ragging, namely:—

(i) All public notifications of the medical college or institution related to admission of students to any course as declared in any electronic, audio-visual or print or any other media shall expressly provide that—

(a) Ragging is a serious offence that is totally prohibited in the medical college or institution

(b) anyone found guilty of ragging or abetting ragging, whether actively or passively, or being a part of a conspiracy to promote ragging, is liable to be punished in accordance with these regulations as well as under the provisions of any penal law for the time being in force;

(ii) the admission brochure or prospectus or information bulletins, in print, digital or any other form shall include these regulations;

(iii) it hall be incumbent on all organisations conducting examinations for the purpose of entrance or exit or any other form of assessment and counseling or seat allotment related to the colleges or institutions, to which these regulations apply, to include these regulations in their Information Bulletin in whichever forms these are available as given below:

(a) the National Testing Agency (NTA) shall include these regulations in the National Eligibility cum Entrance Test [NEET (UG)] for MBBS;

(b) the National Board of Examinations (NBE) shall include these regulations in the Information Bulletin of the National Eligibility cum Entrance Test for Postgraduate [NEET (PG)] and Super-specialty [NEET(SS)] Courses;

(c) the Medical Counseling Committee (MCC) of the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, conducting Online Under Graduate Medical or Postgraduate or Super-specialty courses Seat Allotment process (Online Counseling), shall display these regulations on their website for the respective counseling processes;

(d) these regulations shall be available in the Information Bulletin for the National Exit Test (NExT) to be held under section 15 of the Act;

(e) medical colleges or institutions shall ensure that if any of their assessments or examinations or counseling related to admission process is conducted by any organisation under them or outsourced thereof, the Information Bulletin shall contain these regulations;

(iv) medical colleges or institutions shall stagger the dates of admission such that the fresh batch is admitted before the commencement of new sessions of senior batches;

(v) before the commencement of the academic session in any medical college or institution, the Head of the Institution shall convene and address a meeting of various functionaries or agencies, such as Hostel Wardens, representatives of students, parents or guardians, faculty, district administration including the police, to discuss the measures for curbing ragging;

(vi) the Head of the Institution shall constitute Anti-Ragging Committees, Anti-Ragging Squads and other such committees or assign duties to fulfill the provisions of these regulations;

(vii) the medical college or institution shall, to make the community at large and the students in particular aware of the dehumanizing effect of ragging, and the approach of the institution towards those indulging in ragging, even utilising the media to give wide publicity and prominently display posters depicting the provisions of penal law applicable to incidents of ragging, and the provisions of these regulations in the premises of the institutions, especially hostels;

(viii) the contact numbers, details of control room, helpline and the personnel related to anti-ragging activities shall be prominently displayed, provided and easily available to freshers and all concerned so that immediate contact can be established whenever necessary;

(ix) the vacation period before the start of the admission process may be used to publicise the objectives and provisions of these regulations;

(x) the institution shall identify, properly illuminate and keep a close watch on all locations known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents;

(xi) it should be ensured that except in those areas where unavoidable, there shall be no hindrance, by way of jamming, etc., to the use of mobile phones, within the medical college or institution including hostels and other areas;

(xii) it is recommended that monitoring of the campus, or at least areas vulnerable to incidents of ragging be done through video-surveillance;

(xiii) the Faculty and staff of the medical college or institution shall have induction arrangements, including those which anticipate, identify and plan to meet any special needs of any specific section of students, in place well in advance of the beginning of the academic year with an aim to promote the objectives of these regulations;

(xiv) every medical college or institution shall engage or seek the assistance of professional counselors or in-house counselors as may be available in the Department of Psychiatry before the commencement of the academic session, to be available for counseling students;

(xv) the medical college or institution may form a system of assigning faculty mentors before-hand who would communicate and regularly with students and their parents or guardians;

(xvi) the local police and authorities shall be provided with details of the dates of admission and the addresses of the every privately commercially managed hostels or lodges used for residential purposes by students enrolled in the medical college or institution;

(xvii) the Anti-Ragging Squad shall have adequate drills to be adequately competent to conduct vigil after students are admitted;

(xviii) an Anti-Ragging Control Room may be established with contact details so that students are able to contact the control room at any time of the day or night to report incidents of ragging or seek such assistance as may be needed;

(xix) adequate and robust communication mechanisms shall be put in place so that should the need arise, the medical college or institution can immediately and simultaneously contact and relay information within the institution to appropriate officials, the district authorities and the police;

(xx) the institutional website shall have provision for posting anti-ragging notifications, activities, and also the reports of incidents of ragging and the action taken thereof under public domain.

(2) The following measures shall be taken by the medical college or institution at the time of the admission process, namely**:—**

(i) at the time of admission, an undertaking shall be taken that the student shall not involve in ragging in any manner whatsoever in the format given in the following Annexure, namely:—

(a) Undertaking by the Student in Form I;

(b) Undertaking by the Parent or Guardian in Form II;

(ii) those who seek admission in hostels either within the premises or outside the premises of the medical college or institution shall give an undertaking that the student shall not be involved in ragging in any manner whatsoever in the format given in the following Annexures, namely:—

(a) Undertaking by the Student in Form I;

(b) Undertaking by the Parent / Guardian in Form II;

(iii) the admission requirements shall include a document in the form of the School Leaving Certificate or Transfer Certificate or Migration Certificate or Character Certificate, as the case may be, which shall include a report on the behavioural pattern of the applicant, so that the medical college or institution can thereafter keep intense watch upon a student who has a negative entry in this regard;

(iv) every student at the time of his registration shall inform the medical college or institution about his place of residence while pursuing the course of study, and in case the student has not decided his place of residence or intends to change the same, the details of his place of residence shall be provided immediately on deciding the same; and specifically in regard to a private commercially managed lodge or hostel where he has taken up residence;

(v) every fresh student admitted to the institution shall be provided with—

(a) details of those who could be contacted such as of the Anti-Ragging Helpline or control room referred to in these regulations, wardens, Head of the institution, members of the Anti-Ragging Squads and Committees, relevant district and police authorities; for help and guidance at any time, if and when required;

(b) the details of arrangements made for their induction and orientation which promote efficient and effective means of integrating them fully as students with those already admitted of the institution in earlier years;

(c) their rights as *bona fide* students of the medical college or institution;

(d) clear instructions that they should desist from doing anything, with or against their will, even if ordered to by the seniors students, and that any attempt of ragging shall be promptly reported to the Anti-ragging Squad or to the Warden or to the Head of the institution, as the case may be;

(e) instructions that at least for a specified period that they would be accompanied and monitored appropriately should they leave their hostel premises to a boarding facility or mess or canteen or to a recreational facility such as the gymnasium, especially in the evening or at night;

(f) all freshers shall seek prior permission and provide contact details and timings of leaving and expected return to hostels and reasons for such visit should they for any reason leave the hostel and institutional premises, such as to visit local guardians, etc.

(3) The following measures shall be taken by the medical college or institution after the admission process, namely:—

(i) freshers shall be lodged, as far as may be, in a separate hostel block or wing and the medical college or institution shall ensure that access of seniors to accommodation allotted to freshers is strictly monitored by wardens, security guards and other staff of the institution

(ii) the medical college or institution shall conduct separate orientation programmes for fresh students to apprise and familiarise them with the academic environment of such medical college or institution;

(iii) the freshers shall be counseled to prepare them for the life ahead, particularly in regard to the life in hostels and to the extent possible, also involve parents and teachers in the counseling sessions

(iii) the medical college or institution shall schedule orientation with seniors through—

(a) joint sensitisation programme and counseling of both freshers and senior students by a professional counselor;

(b) joint interactions with seniors in the form of cultural and sports activities;

(c) active monitoring, promoting and regulating healthy interaction between the freshers, junior students and senior students by appropriate committees, including the faculty, student advisors, wardens and some senior students as its members;

(iv) Freshers shall be allotted faculty members who shall act as mentors as indicated under regulation14**;**

(v) the medical college or institution may device its own following additional methods and put into place all measures necessary and provided in various provisions of this Chapter to prohibit and prevent ragging thereby fulfilling the provisions of these regulations and the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009including the related laws for the time being in force which may be applicable:

(a) all necessary Committees, personnel, measures and plans shall be put into place and completely functional and co-ordinate with each other to implement the requirements;

(b) students, freshers and seniors, parents, faculty and all other staff shall be adequately informed of the provisions of anti-ragging regulations;

(c) strict vigil shall be enforced at all times by all concerned with special emphasis on hostels and canteen areas;

(d) surprise checks round the clock, anonymous surveys and strict enforcement of disciplinary measures shall be put in force;

(e) there shall be easy accessibility to report incidents of ragging as well as untoward incidents, distress, difficulties of freshers through availability of contact numbers of Heads of Institution, faculty, Anti Ragging Squad, members of Ant Ragging Committee, hostel wardens and other staff directly or through control room or helplines;

(f) there shall be established communication or operating protocols with district administration and police for their swift and prompt intervention should the need arise;

(g) the message and the intent shall be loud and clear that reporting every incident of ragging is mandatory for all students and staff of the institution and that every case of ragging shall be dealt with according to the provisions of these regulations and the applicable laws for the time being in force;

(vi) the medical college or institution shall provide reports of all regarding Anti-Ragging measures, incidents of ragging, directions of the courts to the University at pre-decided intervals, which may be weekly for the first three months after admission of students as provided in regulation 17;

(vii) the medical college or institution shall provide compliance reports in the format provided in Form III, reports regarding anti-ragging measures, incidents of ragging, actions taken thereof , directions of the courts to the Commission as provided in regulation 18**;**

(viii) the above mentioned measures are neither meant to be comprehensive nor complete and the medical college or institution may utilise measures as provided in different provisions of these regulations; and in addition to them, encourage not only to innovate and devise measures that would enhance efforts to prohibit, prevent and help identify incidents of ragging but also make suitable suggestions to their affiliated Universities for implementation in other medical colleges or institutions.

(4) The following measures shall be taken by the medical college or institution at the end of the academic year, namely:—

(i) at the end of each academic year, the Head of the Institution or Dean shall send a letter to the parents or guardians of the students who are completing their first year reminding them of the provisions of these regulations and any other law for the time being in force to impress upon their wards to desist from indulging in ragging on their return to the medical college or institution at the beginning of the next academic session;

(ii) at the end of every academic year, the medical college or institution shall form a Mentoring Committee or Mentoring Cell consisting of mentors for the succeeding academic year as provided in regulation 14.

8. Issue of migration certificates, transfer certificates and conduct certificates.—The migration certificate or transfer certificate or conduct certificate , as the case may be, issued to the student by the medical college or institution shall have an entry, apart from those relating to general conduct and behaviour as to whether the student has been punished for the offence of committing or abetting ragging, or not, as also whether the student has displayed persistent violent or aggressive behaviour or any inclination to harm others

9. Measures for encouraging healthy interaction between freshers and seniors.—The following measures shall be taken by the medical college or institution for encouraging healthy interaction between freshers and seniors, namely:—

(i) the institution shall set up appropriate committees including the faculty from pre-clinical years , representatives of students, warden and some senior students to actively monitor, promote and regulate healthy, interaction between the freshers and senior students;

(ii) freshers' welcome parties shall be organised at the institutional or departmental level by senior students and faculty together, preferably within the first two weeks of the beginning of the academic session, for proper introduction to one another and where the talents of the freshers are brought out properly in the presence of the faculty, thus helping them to shed their inferiority complex, if any, and remove their inhibition;

(iii) the institution shall enhance the student-faculty interaction by involving both fresher and senior students in appropriate matters of the medical college or institution, such as curriculum design, extracurricular activities and institutional celebrations so that the students feel that they are responsible partners in managing the affairs of the institution.

10. Sensitisation of institutional employees and staff towards ragging.—The following measures shall be taken by the medical college or institution for sensitisation of institutional employees and staff towards ragging, namely:—

(i) it shall be the general collective responsibility of all levels and sections of authorities or functionaries including members of the faculty and employees of the medical college or institution, whether regular or temporary, and employees of service providers providing service within the institution, to prevent or to act promptly against the occurrence of ragging or any incident of ragging which comes to their notice;

(ii) the medical college or institution shall sensitise all teaching and non-teaching members of staff, contract labour employed in the premises either for running canteen or as watch and ward or security staff or for cleaning or maintenance of the buildings or lawns and employees of service providers providing services within the medical college or institution regarding the effects of ragging and various provisions of these regulations relating to anti-ragging and the appreciation of the relevant human rights, as well as inputs on topics regarding sensitisation against corporal punishments and checking of bullying amongst students, so that every teacher is equipped to handle at least the rudiments of the counseling approach;

(iii) the employers or employees of the canteens or mess shall be given necessary instructions to keep strict vigil and to report the incidents of ragging to the college authorities, if any;

(iv) all institutional employees and staff, including contractual employees of the hostels and the watch and ward or security shall be apprised of institutional plans to curb ragging, as appropriate, and clarify duties assigned;

(v) all institutional employees and staff, including contractual employees shall be required to give an undertaking that he shall report promptly any case of ragging which comes to his notice;

(vi) all employees of the medical college or institution shall be instructed to keep a strict vigil in the area of their work and to report the incidents of ragging to the appropriate authorities, as may be required;

(vii) the medical college or institution shall make provision for recognising and rewarding employees and other staff for furthering anti-ragging activities such as reporting incidents of ragging by way of issuing

certificates of appreciation, felicitating them and make suitable entries in their service records.

11. Institutional committees and related measures.—(1) Every medical college or institution shall constitute the following committees and related measures as provided in regulation 6.3 of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009 and under these regulations.

(2) The medical college or institution shall constitute an Anti-Ragging Committee.

(3) The Anti-Ragging Committee shall broadly comprise of the following members duly constituted by the Head of the Institution and shall have a diverse mix of persons of different levels and gender, namely:–
–

(i) Head of the Institution;

(ii) representatives of faculty members;

(iii) representatives of students belonging to the freshers' category;

(iv) representatives of senior students;

(v)representatives of parents;

(vi) representatives of non-teaching staff;

(vii) representatives of civil and police administration;

(viii) representatives of local media; and

(ix) Non-Government Organizations involved in youth activities.

(4) The duties of the Anti-Ragging Committee include but is not limited to—

(i) overall monitoring of Anti-Ragging activities of the medical college or institution;

(ii) ensuring compliance with the provisions concerning ragging both of these regulations as well as the provisions of any law for the time being in force;

(iii) monitoring the activities of the Anti-Ragging Squad;

(iv) investigate reports of ragging, if any, or approve committees formed for this purpose;

(v) make suggestions for improvement of measures taken by the medical college or institution for prohibiting and preventing ragging.

12. Anti-Ragging Squad.—The institution shall constitute an Anti-Ragging Squad.

(1) The Anti-Ragging Squad constituted by the Head of the Institution shall broadly comprise of faculty and staff of the hostels including wardens and other staff, as may be necessary and there shall be a judicious mix of gender in the Anti-Ragging Squad with lady members assigned to ladies hostels.

(2) The duties of the Anti-Ragging Squad include but is not limited to—

a. Adhering to a duty roster if so prepared;

b. Remaining vigilant and agile at all times and also provide necessary details so that the members are easily reachable even by freshers and other students;

c. Making surprise checks in the hostels, boarding areas, playgrounds and transport facilities and other areas even at odd hours for which the Anti-Ragging Squad shall be duly empowered;

d. Making discreet enquiries regarding compliance and adherence of these regulations by seniors;

e. Conducting anonymous surveys that may be random, to identify possibly unreported incidents of ragging as designed by the medical college or institution;

f. checking freshers for any injuries or indirect evidences of possible ragging such as inability to stay awake during the day indicating possible ragging throughout the night or inability to sleep due to fear of ragging;

g. informing the authorities concerned to rectify vulnerable areas such as dark stretches due to fused bulbs, etc.;

h. making on the spot and other necessary enquiries on incidents of ragging and report to the Anti-Ragging Committee;

i. reporting all cases of ragging to the Head of the Institution and other functionaries, as may be required;

j. making entries regarding timings and details of checking including remarks or findings, if any, in a register.

13. Anti-Ragging Control Room or helpline.— (1) The medical college or institution shall establish an Anti-Ragging Control Room or helpline for the purpose of ensuring compliance of the provisions of these regulations.

(2) It is preferable to house Anti-Ragging Control Rooms within or near the hostel premises, which shall be manned round the clock and the contact number or numbers shall be provided to all students and their parents at the time of admission.

(3) The Anti-Ragging Control Room or helpline maybe a single-point contact for all emergencies arising out of incidents of ragging, and on receiving calls, the necessary information shall be simultaneously relayed and disseminated immediately to appropriate personnel including the security and police.

14. Mentoring Committee or Mentoring Cell.— (1) The medical college or institution shall, at the end of each academic year, in order to promote the objectives of these regulations, constitute a Mentoring Committee or Mentoring Cell.

(2) The Mentoring Committee or Mentoring Cell shall draw a list of faculty members who may volunteer to the mentoring process.

(3) The system of mentoring, if so desired may be tried or graded with a group of junior mentors being supervised or overseen by a single senior mentor.

(4) The number of students under each mentor may be decided appropriately by the medical college or institution but as far as possible, not exceeding six.

(5) The broad functions of mentors shall be the following , namely:—

(i) interact individually with the mentee fresher student every day for ascertaining the problems or difficulties, if any, faced by the fresher in the medical college or institution;

(ii) extend necessary help to the fresher in overcoming the same;

(iii) coordinate with the wardens of the hostels and to make surprise visits to the rooms in such hostels, where a member or members of the group are lodged;

(iv) interact with the parents or guardians of the mentees to discuss and provide solutions to problems faced by the student;

(v) maintain a diary of his/her interaction with the freshers under his charge;

(vi) senior students may be inducted into the mentoring process under supervision by faculty mentors.

15. Student Affairs or Hostel Committee.— (1) The medical college or institution may choose to have a separate Student Affairs or Hostel Committee to look after the affairs of the hostel under a senior faculty member who shall oversee the affairs of the hostels.

(2) The designated warden referred to in regulation 16 may function under the Student Affairs or Hostel Committee, which shall play an important role in co-coordinating and implementing all anti-ragging measures related to hostels.

16. Warden.— (1) The hostel warden is a person employed or designated to take care of administrative affairs, supervise boarding and lodging of students in hostels and ensure that the rules and regulations as applicable are obeyed.

(2) Wardens shall be appointed as per the eligibility criteria laid down by University Grants Commission or any other competent authority of the concerned University or the State Government or the medical college or institution.

(3) Wardens may be assisted by deputy wardens or assistant wardens, who shall perform similar duties under the supervision of the warden.

(4) The warden may function under a Student Affairs or Hostel Committee or in any manner as approved by the medical college or institution.

(5) The warden shall have an essential and important role to play in the anti-ragging efforts of the medical college or institution, since the hostels are vulnerable areas, especially after normal academic hours when freshers and senior students are likely to face each other in the hostels.

(6) The wardens shall be accessible at all hours and shall be provided with mobile phones.

(7) The medical college or institution shall review and suitably enhance the powers and perquisites of the warden and authorities involved in curbing the menace of ragging.

(8) The medical college or institution shall empower the warden to control security personnel in hostels for anti-ragging measures.

17. Duties and responsibilities of Universities.—(1) Every University administering medical colleges or institutions may formulate its own regulations to curb ragging on the basis of the provisions contained in the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009.

(2) Every University shall act as the nodal agency of the medical colleges or institutions which are affiliated with it, being responsible for overall monitoring, reviewing and ensuring compliance to all relevant regulations and other applicable laws for the time being in force, for prohibiting and preventing ragging in the affiliated colleges.

(3) Every University shall have a Monitoring Committee which shall be the prime-mover of implementation of all anti-ragging activities of the affiliated medical colleges or institutions.

(4) The Monitoring Committee referred to in sub-regulation (3) shall—

(i) ensure compliance to the provisions of these regulations in letter and spirit, regularly;

(ii) oversee and monitor activities related to—

(a) Anti-Ragging Committee, Anti-Ragging Squads and Mentoring Committees or Mentoring Cells;

(b) publicity of anti-ragging regulations and laws;

(c) conduct of orientation programmes;

(d) conduct of orientation and counseling sessions;

(e) reviewing and approving reports of investigations related to ragging received from constituent colleges or institutions;

(f) investigation of incidents of ragging by the medical colleges or institutions as provided under the provisions of Chapter IV;

(g) implementation by medical colleges or institutions of suggestions for improvement; and

(h) any other such activity that may be necessary from time to time.

(5) Every University shall act as the Appellate Body for all decisions or orders related to incidents of ragging in respect of its affiliated medical colleges or institutions as provided under regulation 25.

(6) The Universities shall regularly review the anti-ragging measures of its affiliated medical colleges or institutions.

(7) The Universities shall take suitable action, as deemed fit, against defaulting medical colleges or institutions affiliated with it for such non-compliance under intimation to the Commission and the State Governments or Central Government as may be appropriate, which may include but is not limited to—

(i) withdrawal of affiliation or recognition or other privileges conferred; or

(ii) prohibiting such medical college or institution from presenting any student or students then undergoing any programme of study therein for the award of any degree or diploma of the University; or

(iii) withdrawal of grants to the medical college or institution; or

(iv) hosting on the website the non-compliance, including incidents of ragging and the actions taken thereof by the medical college or institution; or

(v) any other action as may deem fit, provided under the rules or regulations of such University.

(8) The Universities shall play a facilitatory role and provide suggestions to the medical colleges or institutions affiliated with them to make implementation of measures to prohibit and prevent ragging in such medical colleges or institutions more effective so as to eradicate the menace altogether.

(9) All reports related to incidents of ragging and appeals thereof shall be provided to the Commission.

(10) Every University shall co-ordinate with the Commission, especially when punitive measures related to de-recognition of institutions, courses and degrees are concerned, since several aspects of medical education and training are regulated under the provisions of Act.

18. Duties and responsibilities of Commission.— (1) The Commission shall monitor the medical colleges or institutions through the Universities with which they are affiliated with regard to implementation and compliance of the provisions of these regulations.

(2) Every medical college or institution shall submit a compliance report to the Commission annually in the format provided in Form III.

(3) The Commission shall review compliance during recognition inspections or assessments by the Medical Assessment and Rating Board.

(4) All incidents of ragging and reports thereof including outcome of appeals and directions from courts, if any, shall be provided to the Commission by the medical college or institution and by the University with which such medical college or institution is affiliated to.

(5) If an medical college or institution fails to comply with these regulations and curb ragging, the Commission shall take appropriate action as it may deem fit which includes but is not limited to the following, namely:—

(i) initiate de-recognition process against such medical college or institution;

(ii) reduce the admission capacity of that medical college or institution to such extent to which the Commission may deem fit;

(iii) stop further admission in that medical college or institution until further orders;

(iv) stop renewal of permission for undergraduate, postgraduate and super specialty medical courses;

(v) post the information regarding penalties so imposed on the concerned medical college or institution on the website of the Commission for information of all concerned; and

(vi) any other exemplary measure, as may be necessary.

19. Courts.—Courts may make effort to ensure that cases involving ragging are taken up on priority basis to send the correct message that ragging is not only to be discouraged but also to be dealt with sternness.

CHAPTER IV

DEALING WITH INCIDENTS OF RAGGING

20. Disciplinary matters to be resolved within the camps of institutions.—All matters of discipline within medical college or institution shall be resolved within the campus of such medical college or institution, except those impinging on law and order or breach of peace or public tranquility, which may be dealt with under the penal laws for the time being in force.

21. Reporting incidents of ragging.— (1) It shall be mandatory for all concerned to report every incident of ragging.

(2) Not reporting an incident of ragging even by a fresher shall be viewed seriously and may amount to abetment of ragging.

(3) The report or complaint of an incident of ragging may be made by—

(i) a fresher or a parent or other student; or

(ii) authorities of the hostel, security personnel or any other staff such as canteen staff; or

(iii) Head of the Institution, faculty member, or members of the Anti-Ragging Squad or Anti-Ragging Committee on surprise checking; or

(iv) Others such as direct complaint to local Police or District Authorities.

(4) In all instances, without exception, the name of the complainant, especially students, unless otherwise permissible, shall be kept confidential.

(5) Every information or complaint regarding incident of ragging shall be immediately and simultaneously conveyed to the Head of the Institution either directly or through the Control Room or anti-ragging helpline.

(6) Other officials of the medical college or institution, as shall be previously decided upon, such as the members of the Ant-Ragging Squad and Anti-Ragging Committee, hostel warden, security staff and others shall also be simultaneously informed.

(7) Necessary mechanisms shall be kept in place by the medical colleges or institutions for immediately relaying information regarding incidents of ragging to the University, district authorities, police officials.

22. Immediate action.— (1) On receiving the information of an incident of ragging, the Anti- Ragging Squad or an appropriate authority shall make an immediate on-the-spot enquiry and submit a report or recommendations to the Head of the Institution.

(2) The Head of institution shall, immediately on receipt of such information or recommendation, determine if a case under the penal laws is made out after inquiry as specified in regulation 23, proceed to file a First Information Report within twenty-four hours of receipt of such information or recommendation either on his own or through a member of the Anti-Ragging Committee or an official authorized by him in this behalf, with the police and local authorities, under the appropriate penal provisions.

(3) If a parent or student directly files a First Information Report with the police, the Head of the medical college or institution is not absolved of the responsibility of filing a First Information Report.

(4) The Head of the Institution shall also inform the University to which such medical college or institution is affiliated and the Nodal Anti-Ragging Authority of the District and the Commission.

23. Institutional inquiry or investigation and report.— (1) The Head of the Institution shall constitute a specific committee to inquire into or investigate the incident of ragging without waiting for the report of any other authority, even if this is being investigated by the police or local authorities.

(2) The inquiry or investigation shall be conducted thoroughly including on-the-spot or site of the incident in a fair and transparent manner, without any bias or prejudice, upholding the principles of natural justice and giving adequate opportunity to the student or students accused of ragging and other witnesses to place before it the facts, documents and views concerning the incident of ragging, and considering such other relevant information as may be required.

(3) The entire process shall be completed and a report duly submitted within seven days of the information or reporting of the incident of ragging.

(4) The report shall be placed before the Head of the Institution or the Anti-Ragging Committee.

(5) The Anti-Ragging Committee shall examine the report, decide on and recommend further administrative action to the Head of the Institution.

24. Institutional administrative and penal actions.— (1) Every medical college or institution shall, after receiving the recommendations of the Anti-Ragging Committee under regulation 23, take necessary administrative action as it may deem fit.

(2) The Anti-Ragging Committee, on accepting the report of the institutional inquiry or investigation by the appropriate committee, shall recommend one or more of the actions provided under sub-regulations(5) and (6) depending on the nature, gravity and seriousness of the guilt established of the act of ragging as given under the provisions of Chapter II with the understanding that the action shall be exemplary and justifiably harsh to act as a deterrent against recurrence of such incidents:

(3) Where the individual person committing or abetting an act of ragging is not identified on the basis of the findings of the institutional inquiry or investigations, and the subsequent recommendations thereof, the medical college or institution thereof shall resort to collective punishment of more than one or a group of persons, as deemed fit, as a deterrent to ensure community pressure on the potential raggers.

(4) The broad ingredients that may call for punitive actions on receipt and approval of the recommendations include but is not limited to—

(i) abetment to ragging;

(ii) criminal conspiracy to ragging;

(iii) unlawful assembly and rioting while ragging;

(iv) public nuisance created during ragging;

(v) violation of decency and morals through ragging;

(vi) physical or psychological humiliation;

(vii) causing injury to body, causing hurt or grievous hurt;

(viii) wrongful restraint;

(ix) wrongful confinement;

(x) use of criminal force;

(xi) assault as well as sexual offences or even unnatural offences;

(xii) extortion in any form;

(xiii) criminal intimidation;

(xiv) criminal trespass;

(xv) offences against property;

(xvi) any other act construed as provided under regulations3 and 4.

(5) The nature of punitive actions that may be decided shall include the following, but shall not be limited to one or more of these actions that may be imposed, as deemed fit, namely:—

(i) suspension from attending classes and academic privileges;

(ii) withholding or withdrawing scholarship or fellowship and other benefits;

(iii) debarring from appearing in any test or examination or other evaluation process;

(iv) withholding results;

(v) debarring from attending conferences, and other academic programmes;

(vi) debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament, youth festival, etc. ;

(vii) suspension or expulsion from the hostel;

(viii) imposition of a fine ranging from twenty-five thousand rupees to one lakh rupees;

(ix) cancellation of admission;

(x) rustication from the medical college or institution for a period ranging from one to four semesters;

(xi) expulsion from the medical colleges or institutions and consequent debarring from admission to any other institution for a specified period.

(6) Without prejudice to the provisions of regulation 8**,** it shall be mandatory upon the medical college or institution to enter in the Migration Certificate or Transfer Certificate issued to the student as to whether the student has been punished for the offence of committing or abetting ragging, or not, as also whether the student has displayed persistent violent or aggressive behaviour or any inclination to harm others.

(7) Any other measure as directed by Courts of law shall be followed by the medical college or institution.

(8) The Head of the Institution shall follow-up the information regarding the incident of ragging provided under sub-regulation (4) of regulation 22, to the University to which the medical college or institution is affiliated with a report regarding the findings of the institutional level inquiry or investigation and the actions taken thereof.

(9) The Head of the Institution shall provide a report regarding the incident of ragging and the actions taken thereof to the Commission having informed earlier according to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 22.

25. Appellate authorities.—Every person who have been awarded punitive measures or punishments shall, in view of the principles of natural justice, have the right to appeal with the following, namely:—

(a) for decisions ororders at the level of the medical college or institution:

(i) theVice Chancellor of the University to which the such medical college or institution is affiliated;

(ii) the Director orChief Executive Officer,in the case of institutions of national importance;

(b) for decisions or orders at the level of the University:

(i) the Chancellor of the University to which the medical college or institutionis affiliated;

(ii) thePresident in the case of institutions of national importance.

26. Fixing of responsibility.— (1) In addition to the inquiry or investigation of the incident of ragging, it shall be appropriately inquired as to if there has been any dereliction of duty or lapse bythe medical college or institutionin preventing and handling suchincident.

(2) The Head of the Institution shall take prompt and appropriate action against each person whose dereliction of duty led to the incident.

(3) In case the lapse is on the part of the Head of the Institution, the authority designated to appoint the Head of the Institution shall, in its turn, take prompt and appropriate action.

(4) In addition to appropriate penal consequences, departmental enquiries may be initiated against such Heads of Institutions or members of the administration or faculty members or non-teaching staff and others who display an apathetic or insensitive attitude towards complaints of ragging.

(5) Remedial measures shall be instituted by the medical college or institution based on experiences.

(6) The University and the Commission shall be informed regarding the actions taken under the provisions of this regulation.

27. Functions of affiliated University.— (1) The University to which the medical college or institution is affiliated shall be informed of the incident of ragging by such medical college or institution as required under sub-regulation (7) of regulation 21

(2) The University shall receive the report regarding the inquiry or investigation and action taken from the medical college or institution.

(3) The University shall act as the Appellate Authority as provided under regulation 25.

(4) The University shall take action as it may deem fit in accordance with the provisions of regulation17.

(5) The University shall ensure compliance of orders or directions, if any, from the Court of law.

28. Functions of Commission.— (1) The Commission shall be informed of the incident of ragging by the medical college or institution as required under sub-regulation (7) of regulation 21**.**

(2) The Commission shall receive the report regarding the inquiry or investigation and action taken including the outcome of appeals, if any, from the medical college or institution and the University.

(3) The Commission shall, on review of the reports, take appropriate action as in accordance with the provisions of regulation18.

(4) Without prejudice to the provisions of sub-regulations (1) to (3), the Commission may take the following actions, if it deems fit, namely:—

(a) impose an exemplary fine of one lakh rupees for each incident of ragging payable by the erring medical college or institution to such authority as may be designated by the appropriate Government, as the case may be; or

(b) declare the erring medical college or institution or University, as not having the minimum academic standards and warning the potential candidates for admission at such medical college or institution or University through public notice and posing on the Commission's website; or

(c) declare the erring medical college or institution or University to be ineligible for preferring any application under the **provisions of Chapter VI of the National Medical Commission Act, 2019** for a minimum period of one year, extendable by such quantum by the Commission as would be commensurate with the wrong.

FORM I

[*See* sub-clause (a) of clause (i) and sub-clause (a) of clause (ii) of sub-regulation (2) of regulation 7]

FORMAT OF UNDERTAKING BY THE STUDENT

I_____*(Full Name in Block Letters)*_____Son/ Daughter of Mr./Mrs./Ms._____

_____*(Full Name in Block Letters)*_____admitted to the course of_____

_____*(Name of Course)*___with Admission No._____

at_____*(Name of College / Institution)* affiliated to

_____*(Name of University)*_have received a copy of the National Medical Commission (Prevention and Prohibition of Ragging in Medical Colleges and Institutions) Regulations, 2021(hereinafter referred to as the said regulations).

2. I have carefully read and fully understood the provisions in the said regulations.

3. I have particularly perused the provisions of regulations3and 4 of the said regulations and have fully understood what constitutes "ragging".

4. I have also in particular perused the provisions of Chapter IV and read and understood the administrative and penal actions that may be taken against me in case I am found guilty of ragging or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

5. I hereby undertake that—

(i) I will not indulge in any behaviour or act that may come under the definition of ragging as may be constituted under regulation3of the said regulations;

(ii) I will not participate in or abet or propagate ragging in any form included but not limited to those that may be constituted under regulation**3** of the said regulations;

(iii) I will not hurt anyone physically or psychologically or cause any other harm.

6. I hereby agree that if found guilty of any aspect of ragging, I may be punished as per the provisions of the said regulations or as per the applicable laws for the time being in force.

7. I also declare that I have never been found to be guilty of ragging or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging and have never been punished in any manner for these offences and further affirm that if this declaration is incorrect or false, my admission is liable to be cancelled / withdrawn.

Signed on this the_____day of___ month of_____year.

Signature

Name:

Address:

Tel/ Mobile No:

Signature of Witness 1**:**

(Name of Witness 1):

Address:

Signature of Witness 2**:**

(Name of Witness 2):

-----Address:

FORM II

[*See* sub-clause (b) of clause (i) and sub-clause (b) of clause (ii) of sub-regulation (2) of regulation 7]

FORMAT OF UNDERTAKING BY PARENT / GUARDIAN OF THE CANDIDATE/STUDENT

I_____*(Full Name in Block Letters)*_____ Father / Mother/ Guardian of Mr./Mrs./Ms.____*(Full Name of Student in Block Letters)*_____admitted to the course of _____*(Name of Course)* _____with Admission No.____at_____*(Name of College /Institution)*_____affiliated to____ _____*(Name of University*

_____hereby declare that I have received a copy of the National Medical Commission (Prevention and Prohibition of Ragging in Medical Colleges and Institutions) Regulations, 2021(hereinafter referred to as the said regulations).

2. I have carefully read and fully understood the provisions in the said regulations

8. I have particularly perused the provisions of regulations3and 4 of the said regulations and have fully understood what constitutes "ragging".

9. I have also in particular perused the provisions of Chapter IV and read and understood the administrative and penal actions that may be taken against my son/ daughter/ward in case he /she is found guilty of ragging or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

10. I hereby undertake that my son/ daughter/ ward —

(i) will not indulge in any behaviour or act that may come under the definition of ragging as may be constituted under regulations3 and 4 of the said regulations;

(ii) will not participate in or abet or propagate ragging in any form included but not limited to those that may be constituted under regulations 3 and 4 of the said regulations;

(iii) will not hurt anyone physically or psychologically or cause any other harm.

11. I hereby agree that if my son/ daughter/ ward is found guilty of any aspect of ragging, he/ she may be punished as per the provisions of the said regulations or as per the applicable law for the time being in force.

12. I also declare that he/she has never been found to be guilty of ragging or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging and have never been punished in any manner for these offences and further affirm that if this declaration is incorrect or false, his/her admission is liable to be cancelled /withdrawn.

Signed on this the_____day of__month of_____year.

_____

Signature

Name:

Address:

Tel/ Mobile No.

Signature of Witness 1:

(Name of Witness 1):

Address:

Signature of Witness 2:

(Name of Witness 2):

-----Address:

FORM III

[*See* clause (vii) of sub-regulation (3) of regulation 7 and sub-regulation (2) of regulation 18]

FORMAT OF UNDERTAKING TO BE PROVIDED BY THE HEAD OF MEDICAL COLLEGE/ INSTITUTION TO THE NATIONAL MEDICAL COMMISSION ANNUALLY ON THE DIRECTIONS OF THE HON'BLE SUPREME COURT REGARDING MEASURES AGAINST RAGGING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Sl. No.	REQUIREMENT	ACTION	REMARKS
1	(a) Name of Institution		
1	(b) Address and Contact Nos.		
1	(c) Name of the Head of the Institution		
2	Whether Prospectus / Information Bulletin and Website carry Anti-Ragging Regulations and mention possible actions against Ragging?	Please provide details	
3	Whether Anti-Ragging Committee has been constituted?	Yes / No	
4	Whether Anti-Ragging Squad has been constituted?	Yes / No	
5	Whether names, telephone nos. of authorities to be contacted have been publicized / made available to Freshers	Yes / No	Provide details
6	Whether students are allowed free access to phones (Cell & Landline) in Hostels and mechanisms are in place for immediately contacting authorities at times of distress	Yes/ No	
7	Whether Seniors are counseled	Yes/ No	
8	Whether Freshers are counseled	Yes/ No	
9	Whether Freshers Orientation Course has been conducted	Yes/ No	
10	Anti-Ragging Committee	(a) Date of formation (b) Name of Member and their Contact nos. (c) No. of Meetings held (d) Any visits to Hostels/ other areas (e) Other Measures taken (f) No. of cases detected (g) Action taken as follow up	
11	Anti-Ragging Squad	(a) Date of formation (b) Name of Member and their Contact nos. (c) Roster of checks (d) Frequency of checks (e) Surprise checks / raids (f) No. of cases detected (g) Action taken as follow Up	
12	Inquiries/ Investigations	Number	Provide
13	Administrative / Penal Actions	Number	details
14	First Information Reports	Number	
15	Whether undertaking taken from Students	Yes / No	
16	Whether Undertaking taken from Parents / Guardians	Yes / No	

Note: These are rough guidelines but it is expected that the regulations have been followed and further details may be provided

Dr. SANDHYA BHULLAR, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./447/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.11.22 17:53:37 +05'30'